खण्ड - 02 सख्या- 12,13,14

नवम्

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग -2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,	दिनांक	12 जुलाई, 1985 ई०
सोमवार,	दिनांक	15 जुलाई, 1985 ई०
मंगलवार,	दिनांक	16 जुलाई, 1985 ई०

नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिये 22,18,82,000 (बाइस करोड़, अठारह लाख, बिरासी हजार) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : कटौती का प्रस्तपव जो परिचारित किया गया है उसमें 245–256 श्री अजित सरकार एवं अन्य सदस्यों का है जो व्यापक है । मैं श्री अजीत चन्द सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ।

कटौती–प्रस्ताव : राज्य सरकार की श्रम और रोजगार–नीत पर विचार–विमर्श :

श्री अजीत सरकार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : –

"इस शीर्षक की माँग 1० रु० से घटीय जाय ।"

राज्य सरकार को श्रम और रोजगार नीति पर विचार–विमर्श करने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, बिहार एक गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य से इतना रुपया जो श्रम विभाग ने माँगा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग में कोई काम होता ही नहीं है । यह श्रम विभाग बिहार के लिये एक वेशर्म विभाग है । अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का पहला काम है, औद्योगिक शान्ति बनाये रखना, दूसरा रोजगार की व्यवस्था करना और यूनियनों

के विवादों को हल करना तथा, तीसरा काम है, राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिये बनाये गये कानूनों को लागू करना। परन्तु, यह सरकार क्या करती है ? सरकार का श्रम विभाग इतना कमजोर विभाग है कि इसके कानून में इतना दम नहीं है कि किसी भी मालिक को मजबूर कर सके कि वह बिहार सरकार की बात को माने। यदि कोई मालिक किसी मजदूर को अपनी कम्पनी से निकाल देता है और मजदूर यदि श्रम विभाग में जाता है, तो श्रम विभाग के डिप्टी कमिश्नर, श्रम विभाग के ज्वायंट कमिश्नर द्वारा बार–बार मालिक को बुलाने के बाद भी, वह नहीं जाता है, वह नही हाजिर होता हे, तो इस विभाग के कलेजा में कोई ताकत नहीं है कि मालिक को कमर में रस्सी लगाकर उपस्थित करा ले। इनके कमिश्नर ज्यादा–से–ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि सरकार को रेफ्रेन्स के लिये भेज देंगे और बिहार सरकार हर रेफ्रेन्स में श्रम न्यायालय में चली जायगी और श्रम न्यायालय का फैसला होते–होते मजदूर तो क्या, मजदूर का बेटा भी बूढ़ा हो जायगा, इन्साफ क्या मिलेगा ? मैं एक दो एक्जामपुल देना चाहता हूँ। इण्डियन फायर ब्रिक्स ऐण्ड इन्शूलेशन कम्पनी, हजारीबाग ने पाँच मजदूर सर्वश्री उस्मान खां, जे०ए०न० राना, चमन राम भोला प्रसाद और शिव चरण विश्वकर्मा को 1975 में छांट दिया है।

ये मजदूर श्रम विभाग में गये, श्रम विभाग ने मालिक को नोटिश दी। मालिक नोटिश पर भी नहीं आया। तब रेफरेन्स के लिये सरकार के पास भेज दिया। सरकार ने

उसको न्यायालय में भेज दिया । 1983 में मजदूरों के हक में फैसला हुआ । फैसला होने के बाद भी 6 महीने तक इनका लेबर विभाग कुछ नहीं कर सका। वह मालिक हाई–कोर्ट में चला गया। हाई–कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, लेकिन दो महीने के अन्दर श्रम विभाग ने कोई फैसला नहीं किया। लेबर डिपार्टमेंट मालिक को कुछ नहीं कर सका। मालिक सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और वहाँ यह केस पेंडिग है। 1976 का मुकदमा है और आज 1985 हो रहा है। श्रम विभाग के कानून में इतनी ताकत नहीं है कि मजदूरों के हित में कम समय में फैसला हो। 10–10 साल तक मजदूरों के केस का फ़ैसला नहीं होता है। ऐसे विभाग रहने का क्या औचित्य है। दूसरा उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, मैं यह देना चाहता हूँ कि आर० के० सिंह ऐन्ड बदर्स को इंडियन ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर ने 1971 में निकाल दिया। मजदूर श्रम विभाग में गये, तो उसको रिफरेन्स में भेज दिया गया। आज वह केस जमशेदपुर लेबर कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट पानखाकर घूम रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्प्रीट क्राफट पटना में कारखाना है, जहाँ इंजिनियरिंग वेज के मुताबिक भी०डी०ए० देना बन्द कर दिया। श्री महेन्द्र शर्मा एन्ड बदर्स थी लोगों ने आवाज उठायी, तो इन लोगों को काम से हटा दिया। ये श्रम विभाग में गये। श्रमायुक्त ने मालिक को तीन बार बुलाया। लेकिन मालिक नहीं आया, फलस्वरूप रेफरेन्स में चला गया। इनके ज्वायन्ट कमीशनर के पास ताकत नहीं है कि मजदूरों को राहत दिला सके । अगर श्रम विभाग में दम नहीं है, तो

यह कोन काम का है। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि बिहार सिनेमा मजदूरों का पे फिक्सेन 1972 में हुआ । मालिक लोग हाईकोर्ट, कलकत्ता में चले गये । 12 वर्षों तक हाईकोर्ट में मुकदमा चला। बिहार सरकार के जो वकील थे, उनको माल मिलता रहा और माल लेकर डेट बढ़ाते रहे । 12 साल बाद सी०आई०टी०यू० का इनटरफिटनेस्ट हुआ, फैसला उसके बाद हुआ, लेकिन वह फैसला आजतक लागू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्राईवेट कम्पनी के बारे में कौन कहे, सरकार की जो कम्पनियाँ हैं और सरकारी विभागों में इम्पल्फाइज के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कॉरपोरसन के मजदूर नगर निगम के मजदूर जिला परिषद के मजदूरों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा मिलनी चाहिये। उनका कहना है कि हम सरकार के अंस हैं, लेकिन हमको वेतन की सुविधा नहीं है, पेंशन की सुविधा नहीं हे, हमें भी मिलना चाहिये । 1972–73 में आज से 12 साल पहले सरकार ने वेतन सुधार समिति का गठन किया और कहा कि जो समिति रिपोर्ट देगी, उसको हम लागू कर देंगे। सुधार समिति ने अपना रिपोर्ट दे दी लेकिन वह फाइल में पड़ा हुआ है और लागू नहीं किया जा रहा है। जो जमींदार और पूंजीपति की सरकार है, वह मजदूरों के बारे में क्या सोचेगी। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरसन है, उसमें 14 हजार कर्मचारी हैं, जिसमें 5 हजार कर्मचारी अस्थायी हैं । सरकार भ्रष्टाचार चलते इस निगम की हालत ऐसी हो

गयी है कि यह बंद होने जा रहा है । मजदूरों के इंसाफ नहीं होता है। मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है श्रम—जीवी संघ ने फैसला किया कि हमलोग स्वयं निगरानी रखेगे और ऑफिसरों को डिजिल, मोबिल और पार्ट की चोरी नहीं करने देंगे । इसका नतीजा यह हुआ सिर्फ 2० दिन में ही राँची में ट्रान्सपोट कॉरपोरशन को 2 लाख का फायदा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी का जो हम है, उनको मिलना चाहिये। 1978 में जो चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन हुआ। अबतक उनके वेतन विसंगति का निवारण नहीं हुआ, जिसके चलते मजदूरों में काफी असंतोष है और आज हड़ताल पर हड़ताल हो रही है। सरकार की ओर से आश्वासन मिलता है कि जो मौसमी कर्मचारी है, मस्टर रौल पर कार्यरत कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, उनकी पूर्ण रूपेण कर्मचारी की तरह प्रशिक्षित और पेन्सन आदि के अन्तर को खतम किया जायगा। इसके लिये टास्क फोर्स गठित किया गया। 1979 में टास्क फोर्स गठित किया गया और मार्च में फिर टास्क फोर्स का गठन किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार का मिनगम वेजेज की कोई नीति नहीं है। कॉपरेटिव सेक्टर मैं, अल्पूनियम उद्योग, दवाई उद्योग आदि में मिनियम वेजेज 11 रुपया है, ग्लास फैक्टरी में 17 रुपया है और दूसरी तरफ आपके जो पेड़ कौअपरैटिव मैनेजर है, उनको सिर्फ 200 रुपया महीना मिलता है। यही सरकार का मिनियम वेजेज की नीति है।

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में 26 लाख 97 हजार 933

शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार हैं । इनके लिये इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज बनाया गया है। लेकिन इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से ज्यादा पावरफुल मंत्री का पाकेट होता है, जिनकी एक पुर्जा लिख देते हैं, उनकी बहाली हो जाती है। सहरसा जिला मैं हमारे कृषि विभाग में सुयंक्त निदेशक, श्री राम ने 150 लोगों को बहाल किया। जो पोस्ट सैक्शन नहीं था, उस पर भी बहाली हुई, कुछ तो मंत्री के पुर्जे पर और कुछ 15 हजार रुपये पर बहाल हुए । मेरे कहने पर मतलब है कि अनइम्पलायमेन्ट की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार इसके लिये कुछ नहीं कर रही है ।बैंक बेरोजगार नवयुवकों को 25 हजार रुपया लोन दिया जाता है, लेकिन दस प्रतिशत घूस देने क बाद उनकी सिर्फ 10 से 15 हजार रुपया ही मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, असंगठित मजदूरों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। 5० प्रतिशत भूमि हीनं मजदूर असंगठित है। उसके बारे में सरकार के द्वारा लम्बी–चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कुछ किया गया नहीं है। सरकार को उनको सबसीडी देना चाहिये। उत्तर बिहार में 3–4 टका से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है। किसानों के पास पैसा नहीं है । कि वे अधिक मजदूरी दे सकें, क्योंकि जो एग्रीकल्वरल प्रौडक्ट्स हैं, उसकी कीमत बहुत कम है। इसलिये सरकार को भूमिहीन मजदूरों को सबसीडी देना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं सरकार उसके लिये सबसिडी देती है और सबसिडी देकर वैसे मजदूरों के वेतन को

सरकार ठीक करे। आज दूकान के मजदूर हों, एफ०सी०आई० के मजदूर हों, कोल्ड स्टोरेज के मजदूर हों, उनकी क्या स्थिति है। उनको सौ, या डेढ सौ रुपया वेतन मिलता है। उन्हें यही दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के मंत्री का ही एफ०सी०आई० का गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज है, उसके बाद भी मजदूरों की यह हालत है। उन्हें 100 रुपया डेढ़ सौ रुपया वेतन दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वृद्यावस्था पेंशन लागू किया, लेकिन इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उन्हें पाँच रुपया, दस रुपया नही दिया जाता है तब तक फारम एकसेप्ट नहीं होता है। ये सारी गड़बड़िया हैं, उसको दूर करना चाहिए। ब्लौक में कितने लोगों का दरखास्त आया, उसमें कितना निष्पादन हुआ, इसके लिये ब्लौक में कोई रेकर्ड नहीं है। दस टका देते हैं तो उनको फारम मिलगा, जो पैसा नहीं देते हैं, उसको फारम नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, नतीजा यह है कि जो गरीब हैं, जिनको वृद्धापेंशन मिलना चाहिए, उनको वुद्धा पेंशन नहीं मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री देव कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मानीय श्रम मंत्री द्वारा जो मांग सदन के सामने पेश की गयी है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय विधायक, बिहार सरकार की श्रम–नीतियों के संबंध में अपनी आलोचना का जो दृष्टांत रखा है, उनके निवेदन करना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में संगठित मजदूरों के क्षेत्र में कांग्रेस

पार्टी की सरकार के रहनुमाओं ने बहुत से ऐसे मौलिक परिवर्त्तन किये हैं, जिसको सामान्य आँखों से भी देखा जा सकता है । कोयला खदान में काम करने वाले 20–25 वर्ष पहले क्यों पाते थे और आज कया पा रहे हैं, इसको सभी को जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि इस्पात कारखाना, इंजीनियरिंग कारखाना में काम करने वाले मजदूर हैं उनको विगत वर्ष में जो सुविधा मिलती थी, उसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आज सब को पता है ।

अध्यक्ष महोदय, श्रम समस्याओं के निष्पादन एवं कार्यान्यवन के लिये बिहार सरकार ने कई समिति का गठन किया है। सेन्ट्रल एडवाजरी बोर्ड के नाम पर और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी विषय पर प्रारूप बनाया गया है। त्रिपक्षीय समिति भी बनायी गयी है और उसमें सभी दल के प्रतिधियों से साझीदारी ली जाती रही है, उसके बाद भी आज विरोध करते हैं। बिड़ी मजदूरों को 906 केस का निस्तार कराया गया, न्यायालय द्वारा। 2 लाख 21 हजार, एक सौ सतासी क्वीटल अनाज का भुगतान किया गया बिड़ी मजदूरों को 12 रुपयों, 13 रुपया मजदूरी मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रम विभाग के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि जो संगठित मजदूर बड़े कारखानों में काम करनेवाले हैं, जहाँ युनियन है, वहाँ उनकी समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं, असंगठित

क्षेत्र में रहनेवाले मजदूर है, उनके संबंध सरकार को अलग से नीति बनानी चाहिए। खासकर उन मजदूरों के संबंध में जो खेतिहर मजदूर है, रिक्सा चलानेवाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, दूकान में काम करनेवाले हैं, बीड़ी मजदूर हैं, वन में काम करने वाले मजदूर हैं और छोटे–छोटे उद्योग में काम करने वाले मजदूर है । ऐसे 50 सेक्टर हैं जहाँ के मजदूरों का अपना कोई संगठन नहीं है। जिनकी तायदाद बहुत ही कम है, उनका कोई संगठन नहीं है, जिनका किसी राजनीतिक दल में पहुँच नहीं है। उनकी जो समस्यायें है, उनके लिए नीति का निर्धारण आवश्यक है। इस संबंध में सरकार ने समय–समय पर न्यूनतम वेतन नीति का निर्धरण किया है। लेकिन उसका भी कार्यान्वयन नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं और जो उस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वहाँ कार्यरत हैं, उनके द्वारा मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, उसका भुगतान नहीं कराया जाता है। जो मजदूर स्मौल स्केल इंजीनियरिंग उद्योग में हैं, वन में हैं, चाहे डीपो में काम करते हों, चाहे रिक्सा चालक हैं, चाहे ठेला चलाने वाले हैं, ऐसे बहुत से मजदूर हैं, जो छोटी–छोटी जगहों में काम करते हैं, उनकी समस्या के लिये जो कुछ नीति है भी, उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, इसका कारण है कि वेप सभी असंगठित हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर नियोजक, प्रबंधक वहाँ द्विवीपक्षिय, या त्रिपक्षीय समिति, जिला स्तर पर बनायें और समय–समय पर उसकी बैठक हो और जिला के अंदर

जो काम करनेवाले असंगठित मजदूर हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिये नीतियों का निर्धारण करे और उसके कार्यान्वयन के लिये सरकार के अनुशंसा करें ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बिहार सरकार के अंदर, श्रम विभाग के अंदर जो दो पदाधिकारी हैं, लेबर सेक्रेटरी और लेबर कमिश्नर, वे दोनों पद पर आई०ए०एस० के पदाधिकारी रखे जाते हैं, मेरा सुझाव है कि एक पद पर तो आई०ए०एस० को रखा जाय, लेकिन एक पद पर लेबर विभाग के जो अनुभवी पदाधिकरी हैं, जिनको पिछले 25–3० साल का अनुभव है, उनको एक पद पर रखा जाय, तभी श्रम विभाग के कार्य–कलापो में चुस्ती आयेगी।

मैं तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ और आप सभी जानते हैं कि लेबर संगठन को तीन स्तर पर परेशानी होती है। पहला स्तर है लेबर समस्या को लेकर उनकी माँग को उठाने के स्तर पर। दूसरी परेशानी होती है उसकी माँग को मनवाने के लिये अंदोलन करके मजदूरों की माँग को मनवाने के लिये प्रबंधकों को बाध्य करने संबंधी और तीसरी परेशानी होती है, जब माँग मान ली जाती है समझौता हो जाता है, तो उसके कार्यान्वयन कराने के लिये पुनः आन्दोलन करने के संबंध में मेरा सुझाव है कि चाहे जिस किसी क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूर हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिये द्विपक्षीय, या द्विपक्षीय समिति बनायी जाय, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, युनियन स्तर पर हो,, या जिला स्तर पर हो और उसकी बैठक निश्चित अवधि अंदर हो, वह समिति इस बात

को देखे कि जो श्रम संबंधी नीतियाँ है, यदि उनका कार्यान्वयन नहीं होता है, या जो प्रबंधन इसको कार्यान्वयन नहीं करता है, तो उसके दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिये। तभी मजदूरों के संबंध में जो नीतियाँ सरकार द्वारा बनायी जाती हैं, उसकी सही रूप से कार्यान्वयन हो सकता है ।

मेरा अंतिम सुझाव यह है कि एस०ई०सी०, बी०ए०एस०एल० बिहार फाउन्डी में जो वहाँ के युनियन के साथ प्रबंधन का समझौता हुआ, उसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी इसकी जाँच करायें और वहाँ के नियोजकों के द्वारा श्रम युनियन के साथ जो समझौता हुआ है, उसका कार्यान्वयन जो नहीं किया जा रहा है, उसे कार्यान्वयन कराने के दिशा में सरकार कार्रवाई करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्री जी द्वारा सदन में पेशकी गई माँग का समर्थन करता हूँ।

श्री मो० मुस्ताक : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हमलोग श्रम विभाग पर चर्चा कर रहे हैं, उस विभाग के बारे में हमलोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो उन मजदूरों के बारे में सोचता रहा है, जिनकी हालत पूरे बिहार में दयनीय है। आप जानते हैं कि आज जो छोटे किसान हैं, वे मजदूर बनते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि जितनी ट्रेनें पटना से खुलती हैं, वे पंजाब, दिल्ली, मेरठ या कलकत्ता या दूसरे बेड़ों शहरों में जाती है। एक वर्ष मैंने बकरीद की नमाज कश्मीर में पढ़ा था। आज उनको यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए वे बिहार से बाहर दूसरे

राज्यों में मजदूरी के लिये जाते हैं और जब वे ट्रेनों में सवार होते हैं, तो कम्पार्टमेंट में नहीं, बल्कि कम्पार्टमेंट की छतों पर चढ़कर जाते हैं और इस तरह एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। वे गरीब हैं, मजदूर हैं, अशिक्षित हैं, सफरर हैं। आप जानते हैं कि आज डॉक्टर बेकार हैं, इंजीनियर बेकार हैं, बड़े–बड़े डिग्री लेकर लोग सड़कों पर घूम रहे हें। लेकिन आज उनकी हालत सबसे खराब हैं, जिनके घर पर छप्पर नहीं हैं, जिनको खाने के लिए अन्त नहीं है, वे मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर दूसरे प्रान्तों में भाग रहे हैं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीड़ी मजदूरों को जो सहायता, जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी चिकित्सा होनी चाहिए, टी०बी० बीमारी होती है, उसके इलाज के लिये उन्हें पैसा मिलना चाहिए, वह आज नहीं मिल रहा है। आप पूरे बिहार में चले जाईये। आज एन०आ०ई०पी० का काम हो रहा है, या आर०एल०जी०पी० का काम हो रहा है, जो मजदूर काम करते हैं, उसमें उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिला रहे हैं। उनको पेट की आग बुझाने के लिए काम करना है, इसलिए कहा गया है कि "Mungry mind is always an angry mind. For a man of empty stomach food is God."

वे अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि कम–से–कम एक वक्त खाना तो मिले। यह श्रम विभाग नहीं, बेशर्म विभाग है, क्योंकि हर तरह के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में यह फेल है। इसीलिए मैं माँग करूँगा क्योंकि आपने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी दोनों को

चाहे, वे प्राईवेट सेक्टर के मजदूर हों, या पब्लिक सेक्टर के मजदूर हों, लागू करें और जो खेतिहर–मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, आप जानते हैं कि आज किसानों की हालत खराब है, इसलिए वे इतनी मजदूरी नहीं दे पायेंगे, वैसे किसानों को आपको सबसिडी देना होगा, ताकि वे पूरी मजदूरी दे सकें। पूरी मजदूरी दिलाने के लिये अक्सर हमलोग देखते है। कि किसानों को और मजदूरों को आपस में लड़ाने की कहीं–कहीं कोशिश की जाती है। किसानों की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, उसको देखकर आपको चलना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया ज़िला में जूट–मजदूर सिर्फ चार हजार हैं। वे चार मन का गांठ बाँधते हैं, तो उन्हें सिर्फ 81 नये पैसे मजदूरी मिलती है। पहले प्रेस करते हैं, बण्डल बनाते हैं, तब गांठ बाँधते हैं, चार मन का और उन्हें सिर्फ 81 पैसे मिलते हैं, मजदूरी में। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि बीड़ी–मजदूरों को गृह आवास बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने–लिखाने के लिए सहायता देंगे और जो फॉर्म भरकर दिया गया, वह आजतक नहीं गया।

किशनगंज श्रम अधीक्षक का कार्यालय पाँच वर्षों से पूर्णिया में चल रहा है। 1980 से श्रम अधीक्षक का कार्यालय पूर्णिया से किशनगंज नहीं ले जाया गया है और वह श्रम अधीक्षक टी०ए० उठाते हैं और किशनगंज के श्रम मजदूरों के मामलों को ठीक से नहीं देख पाते हैं इसलिए शीघ्र श्रम अधीक्षक का कार्यालय पूर्णिया से किशनगंज ले जाया जाय, ताकि श्रम–मजदूर अपने मामलों को उनके समक्ष शीर्घ उठा

सकें और सरकार को पूर्णिया से किशनगंज का टी०ए० नहीं देना पड़ें।

अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के मोटर कर्मचारियों को, या उनके क्षेत्र में जो काम करनेवाले मज़दूर हैं, उनको पूरे माह में चार–पाँच सौ से ज्यादे नहीं मिलता है, जिससे पूरे महीने भर उन कठिन न काम करनेवाले लोगों को दो शाम खाना भी नहीं जुट सकता है। जो प्रतिस्कान में लगे लोग हैं, उनको तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। प्रतिस्ठानों में जो नीचे काम करनेवाले लोग हैं, उनके साथ बहुत अन्याय होता है, चाहे दूकान में काम करते हों, या उद्योगों में काम करनेवाले हों, मुझे अनुभव है, चूँकि में तीन चार यूनिट में यूनियन चलाता हूँ और काफी अनुभव है कि उन मजदूरों की समस्या कभी नहीं सुलझती है, हमलोग अधीक्षक से लेकर आयुक्त श्रम तक के यहाँ काफी चक्कर लगा आते हैं, लेकिन मामला तनिक भी नहीं सलट पाता है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि इन गरीब मजदूरों का मामला को ये क्यों नहीं निपटाते हैं, ये बड़े–बड़े उद्योगपतियों से जाकर मिलते हैं, उन प्रतिष्ठान के मालिकों से मिलते हैं और जब वे बड़े–बड़े उद्योग–पत्ति इनके सांठ–गांठ में हैं, तो फिर ये उन गरीब मजदूरों को कौन देखता है ? अब इनका यह श्रम विभाग मजदूर के हित में काम नहीं कर रहा है। हम सरकार से माँग करेंगे कि इस विभाग को चुस्तदुरुस्त करें, तभी मजदूरों के हित में काम हो सकता हैं अध्यक्ष महोदय, 1947 से आंकड़ा उठाकर देखें कि किस तरह से आज मजदूरों की संख्या बढ़ती

जा रही है। 1947 में जहाँ बिहार में मजदूरों की संख्या 22 प्रतिशत थी, वह आज बढ़कर 52 प्रतिशत हो गयी है। उसके अनुपात में श्रम विभाग में भी काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी आज की बढ़ती हुई समस्या को सुलझाया नहीं जा रहा है, बल्कि उलझाया ही जा रहा है।

यहाँ तक कि जो श्रम विभाग का मूल कार्य न्यूनतम मजदूरी दिलाना है, वह भी इस विभाग द्वारा दिलाने में सफलता नहीं मिल रही है। हमलोगों ने कई बार पूर्णिया–किसनगंज में घेराव, जुलुस तथा, प्रदर्शन आदि किया, लेकिन इसका असर कुल अधीक्षक, भागपुर, या कमिशनर पर नहीं पड़ रहा है। लेबेर विभाग के बड़े–बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन वे मजदूरों की समस्या सुलझाने के बजाय, उलझाने में ही लगे हैं और बड़े उद्योगपतियों से मिल कर इनके हित को काट रहे हैं। सरकार अगर कोई कारगर कदम नहीं उठायेगी, तो उन मजदूरों का कल्याण नहीं होने वाला है। बीड़ी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को मात्रा दो रुपये मजदूरी मिल पाती है, उनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ किसनगंज में अनानास से पाइनापूल जूस बनाने का कारखाना है, वहाँ अनानाश के छिलका छीलने के लिये जवान–जवान लड़कियों को मात्रा दो रुपये ढाई रुपये की दर से मजदूरी देते हैं और उनकी आप जानते हैं कि केवल पाँच रुपये से ज्यादे नहीं मिल पाते हैं। जब उनकी ओर से माँगी जाती है, तो उसके मालिक कार पर चढ़कर पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं और सारी माँगे समाप्त हो जाती

है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इनका यह श्रम विभाग टाटा बिड़ला, सिंघानिया और बड़े उद्योगपतियों के लिये बना है, न कि गरीब मजदूरों के हितों के लिये, इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव को समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग को एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत नहीं दी जाय।

श्री कृपा शंकर चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने जो माँग पेश की है, उसे समर्थन में मैं बोल रहा हूँ। हिन्दुस्तान के अंदर बिहार एक खास महत्त्व रखता है और उस बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो मजदूर, किसान के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर–किसान उत्पादक करते हैं।

श्री सूरज मण्डल : ओपोजीशन में बोल रहे हैं ?

श्री कृपा शंकर चटर्जी : पोजीशन–ओपोजीशन की बात नहीं है, आई एम इन रीयल **पोजीशन**।

(इस अवसर पर सभापति महोदय, श्री भोला सिंह, स०वि०स० ने आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि मजदूर, किसान जो उत्पादन करते हैं, उसके उत्पादन के ऊपर देश मजबूत होता है, राज्य मजबूत होता है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी प्राईमरी नीड्स हैं, फुड, क्लोथ, शेल्टर इन सारे के साथ मजदूर किसान के श्रम जुड़े हुए हैं। मैं खेतिहर–मजदूर के

बारे मैं कहना चाहता हूँ कि जो खेत में काम करते हैं, उसे हमलोग असंगठित मजदूर कहते हैं। खेतिहर–मजदूर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि –

"Agrarian labourers are forshaken by God and forbidden by the Government. i mean the Govt. Officers

चाहे कोई भी सरकार हो, या हमारी कांग्रेस सरकार हो, सरकार ने तो खेतिहर–मजदूरों के लिए मीनीमम वेजेज ऐक्ट बनाया है और खेतिहर–मजदूरों की देखभाल के लिए अफसर भी बहाल किए हैं, लेकिन वे अफसर देहातों में जाते हैं, क्या वे वहाँ न्यूनतम मजदूरी को लागू कराते हैं ? सरकार ने तो ईमानदारी के साथ कानून को बना दिया कि खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह हमारा मीनीमम वेज ऐक्ट है, लेकिन श्रम विभाग के अफसर ईमानदारी से काम करते, तो इतना बड़ा नक्सलाइंट आन्दोलन नालन्दा, आरा, भोजपुर, गया आदि जगहों में नहीं होता और पौलिटिकल एक्सप्लायटेशन लोग नहीं कर सकते थे । नालन्दा में जो घटना घटी, जिसको आप नक्सलाईट आंदोलन बोल रहे हैं, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है ? उसके साथ सोशल इनजस्टिस जुड़ा हुआ है। सोशल इनजस्टिस कभी भी खत्म नहीं होगा, अगर श्रम विभाग ईमानदारी के साथ मीनीमम वेजेज ऐक्ट को लागू नहीं करता हैं । आज यही चीज बिहार के खेतिहर–मजदूरों के साथ हो रही हैं यदि सरकार मीनीमम वेजेज ऐक्ट को ईमानदारी से लागू कर, तो निश्चित तौर पर आधा–से–ज्यादा आन्दोलन उसी जगह पर समाप्त हो जायेगा।

मैं छोटानागपुर से आता हूँ और हमलोग ट्रेड यूनियसि वहाँ पर करते हैं। धनबाद, टाटा, बोकारो एवं राँची, इन सारी जगहों में लेबर डिपार्टमेंट के किए अफसर की पोस्टिंग होती है, जिसकी मालिक से मिली भगत होती हैं मैं श्रम मंत्री से कहता हूँ कि आप श्रम विभाग में नये आदमी हैं। आपको मालूम नहीं है कि इनलोगों की किनी दूरी तक पहूँच हैं मैं धनबाद के असिसटेंट लेबर कमीशनर, श्री मदन मोहन मिश्र के बारे में कहना चाहता हूँ। उनका काम क्या है–मालिकों के घर पर जाना और मालिक के कहने पर काम करना। सरकारी कानून को लागू नहीं करते हैं। इसका एक उदाहरण है कि अमोना का सिमेंट फैक्ट्री है उनके मालिक के कहने पर कई मजदूरों को छाँटा गया, लेकिन मजदूरों के पक्ष में असिसटेंट लेबर कमीशनर, मदन मोहन मिश्र ने कोई काम नहीं किया।

सभापति महोदय, लेबर डिपार्टमेंट लेबर कमीशनर एक की पोस्ट हैं माधव सिन्हा भी लेबर कमीशनर थे, तो उन्होंने गोमिया की हड़ताल का फैसला करवाया था। माध्व सिन्हा ने मैली और मैथन सिराभिक में 2 सौ मजदूरों का सत्यापन कराया था और उस समय के मंत्री श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश जी ने जो हमको पत्रा दिया था कि सारे मजदूरों को रख लिया जायेगा, नौकरी पर ले लिया जायेगा, लेकिन आजतक मजदूरों को नहीं रखा गया। वर्त्तमान लेबर कमीशनर क्या कर रहे हैं ? इसमें उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है।

सभापति महोदय, अब मैं बंद–फैक्ट्री के संबंध में

आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं उत्तर बिहार से ही शुरू करता हूँ। आज आपका डालमियानगर का रोहतास इंडस्ट्रीज बंद है, फुलवारी शरीफ का कौटन मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, कटिहार जूट मिल बंद है, राँची में नालन्दा सिरामिक बंद है, उसी तरह से माईश का छोटा–छोटा माईन्स बंद है और धनबाद मे तो बिल्कुल ही तालाबंदी है। धनबाद का तानेजा रिफ्रैक्ट्री बंद है, भोली का हिन्दुस्तान मेलेबल बंद हैं, पाथरडीह का गड इंजहनियरिंग बंद है, गाविन्दपुर का ईस्ट इण्डिया रिफ्रैक्ट्री बंद है, निरशा का नागरथ रिफ्रैक्ट्री बंद है, जी०एस० रिफ्रैक्ट्री बंद है, केरामौत रिफ्रैक्ट्री बंद है, ओरियेंट इंडस्ट्रीज बंद है, बराकर इंजीनियरिंग बंद है। डी०एन० फैक्ट्री बंद है। जेनेरल रसफ्रैक्ट्री बंद है, मौर्डन रिफ्रैक्ट्री बंद है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आपका लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है ? यदि लेबर कमीशनर और मिनिस्टर ईमानदारी से इसको देखते, तो उपरोक्त सभी फैक्ट्रीयाँ बंद नहीं होती। सभापति महोदय, कुमारधुबी में के०एफ०एस० कुमारधुबी में पाँच हजार मजदूरों में से तीन हजार मजदूर ठीकेदारी में काम करते हैं, जबकि सरकार का कानून है कि प्रोडक्शन में कोई भी ठीकेदार मजदूर नहीं होंगे। मैं माँग करता हूँ कि इसकी समाप्त किया जाय।

मंत्री महोदय आपने हमको हार्डकोक के बारे मं जवाब दिया था, मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में जब व दिया था और आपने कहा था कि हार्उकोक उद्योग कोयला खदान से संबंधित है, इसकी देखभाल भारत सरकार करेगी। आपके

जवाब के अनुसार भारत सरकार के लिए यह उचित है कि वह तमाम हार्डकोक के भट्टा को नेशनलाईज कर ले, क्योंकि कोयला खदान हिन्दुस्तान में आज प्राईवेट प्रोपर्टी नहीं है। अगर आप अपने जवाब को ईमानदारी से लागू करें, तो आपके लिए यह उचित होगा कि आप भारत सरकार से बातचीत करके हार्डकाक भट्टा को नेशनलाईज कराने के बारे में कदम उठाते और वहाँ कोयला वेज बोर्ड को लागू करायें । वराकर इंजीनियरिंग फैक्ट्री जो बंद है, उसके बारे में मैं माँग करता हूँ कि श्रम विभाग दिल्ली स्थित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से बातचीत करें कि भारत सरकार इसका टेक ओवर क०से० करने का बंदोवस्त करे। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा की और उनको पूरी जानकारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे भारत संरकार के कोयला मंत्री, श्री बसंत साठे से बातचीत करेंगे। मैं माँग करता हूँ कि श्रम मंत्री इसके बारे में पहल करें।

कुमारधूवी इंजीनियरिग वर्क्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि श्रम मंत्री को देखना चाहिए कि कितने मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। सिर्फ कारखाना तो उद्योग विभाग ने खुलवा दिया, लेकिन उनको देखना चाहिए कि सारे मज़दूरों को काम मिल रहा है, कि नहीं । जो मजदूर ट्रीब्यूनल से केस जीकर आये, जैसे सर्वश्री बबीव मिस्त्री, लालता सिंह, वृंदावन मुखर्जी, आदि है ये लोग ट्रीपूनल से केस जीतकर आए, लेकिन उनको नौकरी दिलाने में असिसटेन्ट लेबर कमीशनर फेल कर गए हैं। लेबर कमीशनर इसको देखें।

आपने रिफैक्ट्री के लिए आजतक वेज बोर्ड नहीं बनाया, जबकि श्रीमती राम–दुलारी सिन्हा ने कुछ प्रश्नों पर रिकोमेंड किया था, उसके बारे में मैं माँग करता हूँ कि जिस तरह से भंडारीदह में वेतन है, या जो इंजीनियरिंग वेज बोर्ड है, उसको रिफ्रैक्ट्री में लागू किया जाय।

झाझा इलाके में 40 हजार बीड़ी–मजदूर हैं और इसके सबसे बड़े मालिक हैं, श्री ओम प्रकाश शर्मा। इनके साथ लेबर अफसर लोगों की मिली भगत है। क्षेत्रीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह इस बात की चर्चा कर रहे थे, मैं माँग करता हूँ कि श्रम मंत्री उनसे बातचीत करके 40 हजार बीड़ी–मजदूरों के लिए सरकारी वेतन बोर्ड को लागू करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में श्रम विभाग की माँग का समर्थन करता हूँ।

श्री समरेश सिंह : सभापति महोदय, में माननीय सदस्य, श्री अजीतचन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, बिहार में चर्चा है और हमारे वाफी मा० सदस्यों के मन में भी कभी–कभी उफान बढ़ता है कि बिहार में पहली बार मजदूर–क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर–श्रमिकों के नेता, बिहार के मुख्य मंत्री हुये हैं। लेकिन सभापति महोदय जब श्रम विभाग के संबंध में सदन में माँग पेश की गई है और उस माँग में सरकार की नजरिया क्या है, वह अस्पष्ट है, उसमें कोई रिफलेक्शन नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बताना चहाता हूँ कि आज बिहार का

वासतविक चित्र क्या है। छोटानागपुर और संतालपरगना जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें जो अशांति फैली हुयी है, उसकी तरफ में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एच०ई०सी० से प्रारंभ किया जाएँ। सभापति महोदय, एच०ई०सी० में 21 दिनों तक हड़ताल रही। संपूर्ण हड़ताल रही । सभापति महोदय, आप जानते हैं कि वहाँ रिकोगुनाइज्ड युनियन के नाम पर इंटक की दुकानदारी चलती है और नियम बनाकर ऐसा रखा गया है, पता नहीं चलता कि किसके जमाने में किसने और किसे माध्यम से रिवोमेन्डेशन दिया गया है।

यह एच०ई०सी० की हड़ताल इनटेक के कारण हुआ जो 31 दिनों तक चली लेकिन इनटेक अपना एक आदमी भी नहीं भेज सका। अंत में फिर समझौता हुआ, लेकिन देश को करोड़ो रुपये का घाटा पहुँचा। इसी तरह से बोकारो में भी 39 दिनों तक हड़ताल चली। हिन्दुस्तान में इतनी लम्बी अवधि की हड़ताल कभी नहीं चली थी जे यह हड़ताल रही। सौभाग्य से, या दुर्भाग्य से बिहार के वर्त्तमान मुख्य मंत्री उसके जेनरल सेक्रेटरी है, लेकिन एक मजदूर को काम करने के लिये नहीं भेज सकें 37 प्रतिशत वोट पाने वाला आज राज्य और देश मे शासन चला रहा है, लेकिन जहाँ शत–प्रतिशत मजदूर हड़ताल पर रहे, उसको गुलामी की जंजीर में आप रखे हुए है, इसका क्या औचित्य है ? आप अपनी दूकानदारी चलाने के लिये उन मजदूरों को गुलामी के जंजीर मैं रखना चाहते हैं। इसी से जाहिर होता है कि सरकार की मजदूरों के प्रति देशी नियत है। यह सारा काम इस सरकार के इशारे पर

हुआ। मुख्यमंत्री के इशारे पर हड़ताल को जैसे–तैसे करके तोड़वाया गया। उसी के कारण उनकी उस कुर्सी पर बैठाया गया। मैं मजदूरों के लिये मजदूर–क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूरों के लिये क्लंक है। ये शिखंडी हैं। मैनेजमेंट इनको शिखंडी जैसा अपना हथियार बनाकर इनके मार्फत अपना काम निकाल रहा है। उनसे मजदूरों का कुछ हित नहीं हो रहा है। हड़ताल होने के समय यह तय हुआ था कि दो महीना के अंदर आरविट्रेशन हो जायेगा, लेकिन आज दो महीना से ज्यादा हो रहा है आजतक आरविट्रेशन नहीं हुआ।

सभापति (श्री भोला सिंह) : आपका दो मिनट समाप्त होगा, या नहीं।

श्री समरेश सिंह : सभापति महादेय सरकार के अविवेकपूर्ण नीति के कारण आज बिहार में मजदूरों का भला नहीं हो रहा हैं। यह सरकार गरीबों को गरीबी के बंधन में बाँध कर रखना चाहती है–

सभापति (श्री भोला सिंह) : अब आपका भाषण समाप्त हो गया।

श्री रामनेरश सिंह : आज तक यह सरकार मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू नहीं करा सकी है और न इसके लिये ऐडवाइजरी कमिटी ही बनवा सके है।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री रामनरेश सिंह एवं, श्री राजेन्द्र प्र० यादव एक साथ बोल रहे थे।)

(सदन में शोर–गुल)

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य श्री रामनरेश सिंह, मैं आग्रह करता हूँ। आप बैठ जाये।

(सदन में शोरगुल)

सभापति (श्री भोला सिंह) : आप बैठ जाएँ। आपके दल को 8 मिनट का समय (खड़े होकर) निर्धारित था, 12 मिनट बोल चुके हैं, इसके बाद कहते हैं कि नहीं बैठूगाँ—यही न्या देना चाहते हैं, आप सदन को ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, सरकार ने 'श्रम और रोजगार' के संबंध में जो 22 करोड़, 18 लाख 82 हजार रुपये की जो माँग पेश की हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, ये (विरोधी पक्ष) जो मजदूरी की भलाई करने के लिये मसीहा बने हुये हैं, इन्होंने आज तक आजादी के बाद से आज तक तीस सालों से मजदूरों के खून—पसीना का शोषण किया है, ये अपने राजनीति—महल खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं—इनके पास न तो कोई ऐसी नीति है, और न कोई कारगर उपाय ही है, जिससे कि देश के मजदूरों की, बिहार के मजदूरों का कल्याण हो सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आजादी के पहले, आजादी प्राप्त करने के लिये कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई में जब सन् 1885 में अंग्रेजों के द्वारा जो मजदूर विरोधी नीति अपनाई जा रही थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने हड़ताल के लिये ऐक्ट बनाया था। उस समय अंग्रेज मजदूरों से 17—18 घंटा काम लिया करते थे, उससे त्राण दिलाने के लिये कांग्रेस पार्टी ने

वर्ष 1885 में हड़ताल ऐक्ट बनवाया था। जब हिन्दुस्तान वर्ष, 1947 में आजाद हुआ, उसकी गहराई में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, यह साधरण बात नहीं है। विरोधी पार्टी के द्वारा जो मजदूरों का नक्शा पेश किया जाता है, उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि 1885 में अंग्रेजों को हटाने के लिये एवं, मजदूरों के कल्याण के लिये कांग्रेस पार्टी ने हड़ताल ऐक्ट पास कराया था और 1947 के बाद आप देख रहे हैं कि ये (विरोधी पक्ष) मजदूरों का इस्तेमाल आज सरकार को हटाने में कर रहे हैं। मजदूरों के कल्याण के लिये इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई काम नहीं है। मैं आपको बतलाना चहाता हूँ कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का हिमालय खड़ा है। आज बेरोजगारी की स्थिति यह है कि इस प्रेदश में आज प्रवेशिका पास करने वाले 10 लाख लोग बेकार बैठे हैं, प्रवेशिका और स्नातक के नीचे करीब 2.3 लाख बेकार बैठे हैं, स्नातक तक करीब 2 लाख, स्नातक के ऊपर 8 हजार, स्नातक इंजीनियर एवं, डॉक्टर करीब 3 हजार, औवरसीयर 13 हजार एवं, कृषि स्नातक 1 हजार बेकार बैठे हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिये जितने का बजट होना चाहिये, उससे कम का बजट आया है।

इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और आपको याद भी होगा कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू ने एक अधिवेशन किया था। उसमें उनका यह कहना था कि संगठित मजदूरों के लिये आजतक मैंने लड़ाईयाँ लड़ीं, संगठित मजदूरों के लड़ाई से

देश का कल्याण नहीं हो सका, असंगठित मजदूर जो गाँव में है, उनकी भलाई करने की आवश्यकता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन में फाइभ स्टार लीडरशीप है, चाहे पक्ष के लोग हों, या विपक्ष के लोग हों, वे फाइभ स्टार लीडरशीप चलाते हैं। आज निजी सेक्टर की बात हो, या पब्लिक सेक्टर की बात हो निजी सेक्टर में ये मालिक और मजदूर के बीच हड़ताल कराते है और पब्लिक सेक्टर प्रबंधन को किसी बात के लिये जिम्मेवार नही ठहराते।

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य आसन को सहयोग करें और एक मिनट में आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : पब्लिक सैक्टर में जितने प्रबंधन हैं, घाटा के लिये उनको जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं, जो मजदूर काम करनेवाले हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं हो सकती है, लेकिन जो ट्रेड यूनियन लीडरशीप है, वे दोनों के बीच काम करते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ। मै कहना चाहता हूँ कि प्रोडेक्शन ओरियन्टेड ट्रेड यूनियन होना चाहिये, हड़ताल ओरियन्डेड नहीं होना चाहिये । आपका प्रोडक्शन बढ़े । जबतक यह नहीं होगा, कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है, चाहे रोहतास फैक्टरी हो या कुमर पूर्वी हो, वे सारे हड़ताल के कारण बन्द हुए। आज मजदूर रोजी-रोटी के लिये परेशान हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करुँगा कि प्रोडक्शन ओरियन्टेड ट्रेड यूनियन पर ध्यान दे। एक दो बात और मैं कहना चाहता हूँ। श्रम विभाग ने कितने जिले खोल कर रहे है। लेकिन उन जिलों में लेबर विभाग की

शाखा नहीं खोली गयी है जिससे वहाँ के असंगठित मजदूरों का काम नहीं हो रहा है। अभी इनके यहाँ 114 श्रम सेवा के लोगों का पद है जिनमें से 40–42 पद रिक्त है, वह ऐसी कितनी संचिकाएँ अधिकारियों के पास जाँच के लिये लंबित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के लिये अनुमंडल में पैसा देना पड़ता है। श्रम विभाग आजतक पास–बुक नहीं बना पाया है, सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच साजिश के कारण। इसलिये मैं आग्रह करुँगा कि भविष्य–निधि के लिये पास बुक की व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बात मानते अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री ओमी लाल आजाद : सभापति महोदय, "श्रम और रोजगार" संबंधी माँग के क्रम में प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस कटौती प्रस्ताव का इसलिये समर्थन कर रहा हूँ कि आज श्रम विभाग पूँजीपतियों के गैस्ट हो उस में, जमीन्दारों के दालान में, ठीकेदारों के बंगले में और सामन्तों के किले में जा कर आँखों को फोड़ कर अंधा हो गया है। आज मिनिमय वैजेज को क्या हालत है।, आज उद्योगों को क्या हालत है। श्रम विभाग को मजदूरों की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। श्रम विभाग मजदूरों के प्रति आँख बन्द किये हुए है। और पैसे की नीति पर चल रहा है, आज श्रम विभाग मजदूरों के लिये घड़ीयाली आंसू बहाता है। लेकिन पूँजीपतियों के लिये इसकी आँख खुली रहती है और मजदूरों के लिये बन्द रहती हैं पूँजीपतियों के फायदे का काम श्रम विभाग

करता है और उसके लिये अपना ही कानून भूल जाता है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के सैक्शन 3 (बी) के मुताबिक सरकार को मिनियम वेजेज का रिवीजन हर 5 वर्ष के अन्दर करना है, लेकिन 5 साल बीत जाता है, 6 साल बीत जाता है, लेकिन मिनिमम वेजेज का रिवीजन नहीं होता है, इससे फायदा किसे होता है माईका उद्योग में 1979 में मिनिमम वेजेज तय हुआ था, लेकिन आज 1985 बीत रहा है, मिनिमम वेजेज का रिवीजन नहीं हुआ है । माईका फैक्ट्री है, आज सिलवेरींग, फेबरिकेशन और एलेक्ट्रानिक और इंजीनिरिंग और इस तरह के जो स्कील्ड काम करनेवाले है, उनकी मजदूरी श्रम विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है और जो भी तय किया गया है, वह मिनिमम वेजेज भी पैमेन्ट नहीं हो रहा है। चाहे माईका उद्योग हो, चाहे बीड़ी उद्योग हो, कहीं भी मिनिमम वेजेज नहीं मिलता है। अनंद बीड़ी कम्पनी ओम प्रकाश बीड़ी कम्पनी मुंगेर जिला के सोनहो, झाझा, चकाई के 40000 बीड़ी–मजदूरों की 4–5 रुपये मजदूरी का पेमेन्ट हो रहा है। बिहार शरीफ के गफूर बीड़ी कम्पनी के मजदूरों के 4–5 रुपये का पेमेन्ट हो रहा हैं लेकिन बिहार का श्रम विभाग कुछ नहीं कर रहा है। पूँजीपत्तियों के फायदे की बात में श्रम विभाग लगा हुआ है और दूसरी तरफ सामन्ती जुल्म का नंगा नाच हो रहा है। बिहार राज्य निर्माण निगम ने पुनासी में 26 करोड़ की योजना में से 4 करोड़ का ठीका लिया, लेकिन बिहार निर्माण निगम योजना को पूरा नहीं कर रहा है। ठीकेदार बहाल कर दिया, कन्स्ट्राक्शन, मलवा कन्स्ट्राक्शन और गोपाल सिंह, यह तीनों

ठीकेदार उड़ीसा से मजजूर ला रहे है और उन्हें 2 रुपया 50 पैसे तथा एक किलो चावल देते है। उनमें 12–14 घंटा का काम लेते है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी माँगने पर ठीकेदार उन्हें मारते–पीटते हैं और उन्हें बक्सा में बन्द करके यातना देते है। सर्वश्री सुखी यादव, शमभूधीन लेख, बुजर चौधरी और तजमूल शेख से आप मिलिए सामन्ती जुल्म को दास्ता का काला पन्ना एक–पर–एक उल्टता जायगा। आपको मालूम होगा की श्रम विभाग में सामन्तों की चलती है और ये मजदूरों के प्रति आँख बन्द किये हुए हैं, मजदूरों के मिनिमम मजदूरी के निष्पादन के बारे में श्रम विभाग बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। भारत सरकार ने इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऐक्ट में संशोधन पर विवादों को निपटारे का समय निर्धारित कर दिया हैं व्यक्ति गत केस के लिये तीन महीना और सामुहिक केस के लिये 6 महीना दिया हैं लेकिन मैं ऐसी कल्वरल मजदूरों का उदाहरण नाम और पता के साथ देना चाहता हूँ। श्री विशेषवर मांझी, खेतिहर मजदूर ग्राम लेहरबीघा, थाना राजगीर, जिला नालंदा, ने न्यूतम मजदूरी का केस किया, ए०एल०सी० पटना के पास मुकदमा संख्या 4–82 और फैसला हुआ 31–12–83 को, 1860–58 पै० मजदूर को भुगतान करने के लिये। लेकिन आजतक मजदूर के बकाये का भुगतान नहीं हुआ। बिहार सरकार मजदूरों का शोषण कर रही हैं एक ही विभाग है, एक ही अफसर है, एक ही ठीकेदार है, काम वही, मजदूर वही लेकिन मजदूरी एक–सी नहीं है, मिनिमम वेजेज दो तरह का है। एन०आर०ई०पी० में एक आर०जी०ड०पी० काम करने वाले

मजदूरों को 8.50 मिलेगा और सिंचाई विभाग, या दूसरे विभाग में जो काम करेंगे उनको, 13 से 15 रुपये मिलेगा, कहाँ है आपका श्रम विभाग 2 हम समझते हैं कि इसके बाद भी सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि जो परमामेन्ट नेचर ऑफ वर्क के मजदूर हैं, वे ठीकेदारी में नहीं रहेंगे, उन्हें स्थायी कर दिया जायगाँ लेकिन श्रम विभाग के तमाम अफसरों की मिलीभगत के चलते इन मजदूरों का स्थायीकरण पेन्डीग रह जाता है और इसी का नतीजा है–कि 1964 में श्रम मंत्री का दिया हुआ एवार्ड, स्थईकरण के बारे में जो माइका के मजदूरों के लिये–था, वह आजतक लागू नहीं हुआ। आज लेबर मिनिस्टर की आवाज बंद है।

सभापति महोदय, गिरीडीह एक औद्योगिक जिला है, लेकिन यहाँ पर आई० टी० आई० का केन्द्र नहीं खुला और लेबर फोर्ट भी नहीं खुला है, जिसके चलते मजदूर को घाटा हो रहा है और पूँजिपतियों को लाभ हो रहा है। एडिशनल लेबर कमिशनर का पोस्ट राँची में देने के बारे में इस सदन में आश्वासन दिया गया था, लेकिन आजतक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

पार्टीसिपेशन ऑफ लेवर मैनेजमेन्ट, इसमें सरकार की क्या नीति होगी, क्या पौलिसी होगी, इसको क्लियर नहीं किया गया है। क्या नीचे से ऊपर तक की कॉमटी बनायी जायगी, या सिर्फ ऊपर में ही कमिटी बनायी जायगी ? इसमें जो मजदूरों के प्रतिनिधि होगे, वे एलेक्शन के द्वारा चुने हुए होगें या नोमिनेशन वाले होगें। अगर चुने हुए नहीं होगें, तो

मजदूरों के भागीदारी प्रबंधन में पूरा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रिकोगनाइज्ड युनियन के बारे में सरकार की पौलिसी घातक है, जिसके चलते रिकोगन इज्ड युनियन के प्रतिनिधि चुप बैठे हैं और उससे सरकार बात नहीं करती है। हटिया और बोकारो की लंबी हड़ताल सरकार की घातक नीति का ही परिणाम है। इसे सुधरें।

सभापति (श्री भोला सिंह) : अब आप बैठ जाये।

श्री ओमीलाल आजाद : अब मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बैठ जाता हूँ।

श्री नन्द लाल चौधरी : सभापति महोदय, श्रम और रोजगार के संबंधी माँग का मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हुए में 1980 की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। श्रम विभाग की ओर से वृद्धा पेंशन लागू किया गया था, जो असहाय थे, ग़रीब थे, जिनको कोई पूँछने वाला नहीं था, तो बिहार सरकार ने एक योजना चलाकर उनकी मदद की। उस समय उनको मालूम हुआ कि इस बिहार सबे में हमें भी कोई देखने वाला है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी है, वह अत्यन्त ही सोचनीय और दुखदायी है क्योंकि इस कानून के चलते छोटे–छोटे किसानों को श्रम निरीक्षक तबाह कर रहा है। गाँव के आपसी मतभेद के चलते भी छोटे किसानों को केस करके उन्हें इंभसैब किया जाता है, उन्हें फँसाया जाता है। गाँव के दूषित वातावरण को लेकर सरदार के श्रम निरीक्षक उनके ऊपर केस करते हैं और जो

गरीब कमी कोटे के मुँह भी नहीं देखा है, उसे लेबर में उपस्थित होना पड़ता है। इसलिये श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर जाना चाहिये और सरकार ऐसा कोई काम करें, जिससे उनकी तबाही रूक सके। चकिया चीनी मिल बहुत पुराना है और हमारे क्षेत्र में पड़ता है। आज चम्पारण के मजदूर यह सोच रहे हैं कि अभी भी चम्पारण में निलही का राज है, अंग्रेजों का राज है। उसी तरह से सभापति महोदय, आज भी चकिया चीनी मिल के व्यवस्थापक, था जो मालिक हैं, वे वहाँ के मजदूरों के साथ व्यवहार करते आ रहे हैं। सरकार द्वारा जो निर्धारित सुविधा है, वह सुविधा उनको नहीं दी जा रही है।

हमारे यहाँ एक शीप बटन का कारखाना है, जो बिहार में ही नहीं, भारत में वह प्रसिद्ध है, आज शीप बटन का कोई भी कारखाना नहीं चल रहा है। सारें मजदूर बेकार पड़े हुए हैं और सारे मजदूर वहाँ से भाग कर बाहर जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन मजदूरों की रोजी–रोटी के लिये शींप बटन के कारखाने को पुनः चालू कराया जायं।

अब मैं सरकार का ध्यान कल्याण विभाग की ओर ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इस संदर्भ में कल्याण विभाग के बारे में भी कुछ कहना अत्यावश्यक हो गया है। कल्याण विभाग से हरिजन छात्रों को जो छात्रवृद्धि दी जाती है, वह समय पर हरिजन विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। सरकार इस छात्रवृत्ति को उन्हें समय पर दे। इन्हीं शब्दों-के साथ मैं श्रम

मंत्री द्वारा पेश की गई माँग का समर्थन करता हूँ।

श्री बच्चा चौबे : सभापति महोदय मा० सदस्य, श्री अजितचन्द सरकार, द्वारा प्रस्तुत का मैं समर्थन करता हूँ। यह जो श्रम विभाग की माँग है, आज हम देख रहे हैं कि चारो ओर कारखाना बंद हो रहा है, मजदूरों की हालत खराब है, हड़तालें चल रही हैं, कर्मचारी काम बंद करने के लिये तैयार है और समाज में एक विषमता–सी व्याप्त हो गयी है। मुझे याद आ रहा है दिनकर जी की यह उक्ति कि :

'जबतक मनुज–मनुज का सुख भाग नहीं रसम होगा राम;
शमित न होगा कोला हल दुःख दर्द नहीं कम होगा।'

सभापति महोदय, आप तो समय कम ही देंगे और में कर्मचारी वर्ग से आया हूँ और अब मैं अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ समझौता किया था, लेकिन आजतक उस समझौता का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ । 1980 में सरकार ने हाईस्कूल का अधिग्रहण कर लिया और सेकेन्डरी बोर्ड के साथ ऐसा किया कि 'धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का' । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ जो समझौता सरकार ने किया था, उसको तुरंत लागू किया जाएँ और सेकेन्डरी बोर्ड के कर्मचारी जो अनाथ हो गये हैं, उन पर ध्यान किया जाएँ।

सभापति महोदय, मैं गोपालगंज से आता हूँ, वहाँ हथुआ चीनी मिल बंद है, वहाँ के कर्मचारी आज भूखमरी के

कगार पर हैं। मैं सरकार से निवेदन करुँगा कि उस चीनी मिल को चालू कराया जाएँ। श्रम विभाग जो आज वेशर्म विभाग बना हुआ है, उनसे मैं कहूँगा कि उन कर्मचारियां के वेतन आदि का भुगतान कराया जाएँ, ताकि वे भूखमरी से बच सकें।

सरकार मजदूरी कैसे निर्धारित करती है, वह मैं नहीं जानता, लेकिन इसका कोई सिद्धान्त तो जरूर होगा। जीवन निर्वासित सिद्धान्त, या किसी और सिद्धान्त से मजदूरी निर्धारित सरकार करती है, मेरी समझ में नहीं आता है। कहीं के मजदूर को एक रुपया, दो रुपया और तीन रुपया मजदूरी है, तो कहीं बहुत अधिक मजदूरी दी जाती है और कहीं बहुत कम मजदूरी मिलती हैं इस तरह से सरकार इसके सम्पादन में अपने को असमर्थ पा रही है। सभापति महोदय, जहाँ तक श्रम न्यायालय में काम करनेवाले पदाधिकारी का सवाल है, वे पूँजीपतियों की अहमियत रखते हैं, वे उनकी चमचागीरी करते हैं, उनके ही हित की रक्षा की बात करते हैं, मजदूरों को पूछनेवाला कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी भी श्रमिकों का मामला श्रम न्यायालय में जायं, तो सरकार इसके लिए एक समिति बनावे, जिसमें मजदूरों के भी प्रतिनिधि रहे और उसमें श्रमिकों के हित की बात ही।

यही कह कर मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय : सभापति महोदय, श्रम मंत्री द्वारा पेश की गई माँग के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आप

देखें कि बिहार सरकार श्रमिकों के लिए क्या करती हैं पूरे देश में और खासकर बिहार में यह पहला ही मौका है कि श्रमिक आन्दोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब स्टेट का मुख्य मंत्री हो, तो श्रमिकों को आशा बंधती है और यह स्वाभाविक ही है। आज हमारी आशा बंधी है। विरोधी पक्ष के जितने सम्माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल उठाएँ हैं, स्पेसिफिक प्रश्न उठाए गएँ हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं भी मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मानीय सदस्य, श्री समरेश सिंह ने बोकारों का सवाल उठाया और कहा कि वहाँ आरबिट्रेशन हुआ, लेकिन तो भी उसकी घोषणा नहीं हुई। पता नहीं, उनको यह मालूम है, या नहीं कि आरविट्रेशन तो बहुत दिन पहले हो गया था, फिर तमाम सवालों को लिंगर किया जा रहा है। उनकी मालूम नहीं है, जब वहाँ लोक आउट हुआ, तो दूसरे युनियनों ने आइ०एन०टी०यू०सी० ने सब से पहले प्रवर्तध ान के सामने इस सवाल को उठाया और सबके पसन्द से उठाया और तब वहाँ के इनके युनियन के मजदूर कहते हैं कि हमलोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिला। अब आपलोग ही पता सकते हैं कि जिस संगठन से जुड़ा हुआ मुख्य मंत्री हो, उस समय उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा प्रोटेक्शन उन्हें क्या मिलेगा। वहाँ लौक–आउट चलता रहा, जोड़–तोड़ चलता रहा, लेकिन तो भी सरकार की मशिनरी चूपचाप बैठी रही। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ ? वहाँ के मजदूर संगठन ने आन्दोलन चलाया, तो वहाँ के मजदूरों को मार–मार कर भगा

दिया गया। सी०पी०एम० के माननीय सदस्यगण अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें, उनलोगों ने कहा कि इम्पलायीज के लड़कों की नौकरी मिलनी चाहिए, कोयला उद्योग में इसपर एग्रीमेन्ट भी हुआ, लेकिन तो भी वे हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं और उसके बाद भी इतनी बड़ी बात करते हैं।

अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। बिहार सरकार में श्रम विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। जब बिहार में मुख्य मंत्री श्री बाबू थे और श्री कृष्णवल्लभ सहाय मंत्री थे तो श्रम विभाग मुख्य मंत्री के अधीन था, लेकिन आज के मुख्य मंत्री इससे उदासीन हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता हैं सारे विभागों के प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को दिये गए, लेकिन श्रम विभाग का प्रतिवेदन नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि मजदूरों के बीच जो माननीय सदस्य रहनेवाले हैं, वे इस पर बोलेंगे। कन्सट्रक्शन में लगे मजदूर, संगठित मजदूर अगर समझें कि पुलिसवाले थाना खोल कर रखे हुए हैं, वे लोग उनके न्याय के लिए सामने आएंगे, तो उनके प्रति न्याय नहीं होगा। इसके लिए उनको ही पहल करना होगा, उनको ही आगे आना होगा।

आप यह भी देखेंगे कि दिनानुदिन श्रम विभाग का अनुदान कम होता जा रहा है। 1982—83 में इसका अनुदान था, 73 करोड़ 64 लाख, 1983—84 में था, 22 करोड़ 5 लाख, 1984—85 में था, 22 करोड़ एक लाख और 1985—86 में हो गया, 22 करोड़ 18 लाख। तो यह क्या हो रहा है ? आज मजदूरों की क्या हालत है, इसको आप भूलते जा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि श्रम विभाग और उससे संबंधित तमाम पदाधिकारियों पर मजदूरों को निष्ठा बनी रहे, इसके लिए उपाय किया जाय। यह कौन नहीं जानता है कि आज पूरे बिहार में मजदूरों की मर्यादा स्थापित हुई है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के बाहर के लोग यहाँ आकर बिहार के लोगों को शोषण और दोहन कर रहे हैं। देश में नायाब, माफिया गिरीह बन्दुक की नोक पर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद। उनकी शक्ति बढ़ती जा रही हैं। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी जो भी बोलते हैं, उनको शख्ती के साथ पालन कराएँ। धीमी गति से मजदूरों का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है, मजदूरों को इन्साफ नहीं मिल सकता है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे श्रम विभाग पर पूरी निगरानी रखें और उसकी तेज बनावें, ताकि मजदूरों को लाभ हो।

श्री सत्य नारायण दुदानी : बोकारों में आरबिट्रेशन के बारे में भी कुछ कहेगें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय : आरबिट्रेशन का मामला, युनियन का मामला है। आरबिट्रेशन तो वहाँ हुआ, लेकिन आपलोग उसमें मदद नहीं करके, उसकी निन्दा करते हैं।

श्री सूरज मंडल : सभापति महोदय, श्रम विभाग की जो माँग पेश की गयी है, यह माँग उस विभाग को नहीं मिलनी चाहिए। मेरा एक प्रस्ताव है कि श्रम विभाग को समाप्त करके, उसका

जो काम है, वह जिला प्रशासन के अन्दर सौंप दिया जायं। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ कि 1965 में देवघर जिला में जो डाबर कम्पनी है, उसके 62 दंटनीग्रस्त कर्मचारियों का मामला दर्ज हुआ। वहाँ से 62 कर्मचारियों को हटा दिया गया। आज डाबर कम्पनी में नेपाल से आदमी लाकर रखा जाता है। जब उन्हें स्थायी करने का समय आता है, तो उनो नौकरी से हटा दिया जाता हैं 1965 में जिन 62 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, वे सभी संथाली थे। 1980 में जब मैं विधान–सभा का सदस्य चुनकर आया, तो उस समय श्रम मंत्री, श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश थे और श्रम आयुक्त, श्री सक्सेना थे। इस मामले के बारे में मैंने लिखकर रम विभाग को दिया था, इस बीच 62 कर्मचारियों में 40 कर्मचारी मर चुके हैं, श्रम आयुक्त, श्री सक्सेना और योगेश बाबू दोनों ने मिलकर बैठक बुलायी, उसमें कम्पनी के मैनेजर, श्री वसंत कुमार झा को बुलाया गया था, उसमें मैं भी था। उसमें फैसला हुआ था कि 40 आदमी मर चुके हैं और जो 22 आदमी बचे हुए हैं, उनो नौकरी में ले लिया जायं। ऐसा उस कम्पनी के मैनेजर को कहा गया था, लेकिन क्या हुआ ? यह मैं सदन को बताना चाहता हूँ। कम्पनी का मैनेजर श्रम विभाग को दुतकार कर चला गया और उस कम्पनी के मैनेजर का आप कुछ बिगाड़ नहीं सके। आज वे 22 मजदूर जिन्दा हैं, लेकिन उनको नौकरी अभी तक नहीं दी गयी है और वे आज रोड पर धूम रहे हैं। इसलिये मैं कह रहा हूँ कि श्रम मंत्रालय को समाप्त कर देना चाहिए।

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि बिहार में गोमियों में एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। वहाँ के मजदूरों ने 1983 में हड़ताल की वे लोग हड़ताल पर थे। उस समय श्री माधे लाल सिंह, जो आज माननीय सदस्य हैं, वे मोर्चा को लीड कर रहे थे, समझौता नहीं हो पा रहा था तो मैंने विधान-सभा के सदस्य की हैसियत से लिखकर दिया, लेकिन नतीजा उलटा हुआ। पाँच व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया-श्री कुलदीप नारायण सिंह, श्री पशुपति नाथ सिंह, श्री मदन प्रसाद, श्री रामजी प्रसाद यादव, श्री काशीनाथ प्रजापति। इनलोगों की छँटनी दी गई।

श्रम विभाग के जो पदाधिकारी होते है, उनको मालिक लोग अपने मकान में ले जाते हैं और वहाँ सुख और सुन्दरी की व्यवस्था करते हैं और पदाधिकारी लोग सुख और सुन्दरी के फेर में पड़कर मजदूरों के पक्ष में निर्णय नहीं कर, मालिक के पक्ष में निर्णय करते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह ईमानदार हैं, इसलिये आप इसको देखिये। इसीलिये मैंने कहा कि श्रम विभाग को समाप्त किया जाय।

करीब पाँच लाख ऐसे मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं। उनके लिये कोई मजदूरी निर्धारण नहीं की गयी है। जो संगठित मजदूर हैं उनके लिए तो सब लोग बोलते हैं। मगर जो असंगठित मजदूर हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता हैं असंगठित मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी तय है, वह भी उनको नहीं मिलता है। इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रखंड में जो मजदूरों को काम देने के लिये स्कीम

चलाई जाती है, उसमें मस्टर रौल पर जाली अँगूठे का निशान बनाकर मजदूरों का भुगतान दिखाया जाता है, मगर श्रम विभाग के लोग सोये रहते हैं और कोई इसको देखनेवाला नहीं है।

सभापति (श्री भोला सिंह) : अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री अंकुराहो दोराईबुरू : माननीय सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री श्रम विभाग की ओर से जो माँग पेश की गयी है, में। उसके समर्थन में खड़ा हूँ। सभापति महोदय में आपसे कहना चाहुँगा कि में सिहभूमि जिला के कोल्हान क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ लोहे के खान हैं, अनेको खदान हैं, लेकिन तीन बड़े–बडे खदान हैं, जिनमें एक गुआ में टिस्को का आयरन माइन्स है। सभी खदानों में मुशकिल से वीस से पचीस प्रतिशत स्थानीय लोगों को रखा गया हैं स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं, सभी बाहर के हैं। यही कारण है कि पिछली दफा गुआ में हत्या कांड हुआ था। हमारे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बहाली नहीं होती है, यह बड़ी विडंबना है। स्थानीय आदमी कौन है किनको स्थानीय कहा जायगा, उसके संबंध में श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा 3 मार्च, 1982 को एक पत्र जारी किया गया था। जिनलोगों के पूर्वज के नाम में जमीन है, उन्हीं को स्थानीय लोग माना जायंगा। यह सरकार के संयुक्त सचिव के उपर्युक्त पत्र में परिभाषा दी गयी है। इसकी सूचना उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय पदाधिकारी एवं निबंधक को दी जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन

ग्रहण करता हूँ।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जितने भी माननीय सदस्यों ने जदूरों के संबंध में अपना वकतव्य दिया है, सझों ने संगठित मजदूरों के संबंध में विचार व्यक्त किया हैं जहाँ कोयलरी है, या खदान है, वहाँ के मजदूरों के प्रति कुछ नेताओं का ध्यान अवश्य है, वे उनके लिये आवाज उठातें हैं, उनकी समस्या के लिये लड़ते हैं। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहाँ के मजदूर असंगठित हैं। इसी तरह हमारे क्षेत्र में एक परियोजना चल रही है, वहाँ के मजदूर अभी भी असंगठित हैं। वहाँ के मजदूरों का शोषण हो रहा हैं हमलोगों ने कई बार लेवर कमिश्नर को कहा कि मजदूरों को प्रति दिन 3 रुपया, 4 रुपया मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस सवाल को लेकर सी०पी०आई के नेता, श्री भुवनेश्वर मेहता ने हड़ताल करवायी और एक महीना तक आन्दोलन जारी रखा, लेकिन लेबर कमिश्नर का ध्यान उस पर नहीं गया। इतना ही नहीं, मैंनेजमेन्ट से मिलकर समस्या को रफा–दफा कर दिया। चूँकि मजदूर भूखे मर रहे थे, वे पुनः काम पर आ गये। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि असंगठित मजदूरों के लिये सही माने में कोई उपाय है, या नहीं, उनके लिये कोई न्यूनतम मजदूरी है, या नहीं, ताकि उनको दिलवाया जायं। खेतिहर–मजदूर जो खेत में काम करते हैं, वे सचमुच ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। इसी तरह से पत्थर तोड़ने का काम, बीड़ी पत्ता तोड़ने का काम, जो

मजदूर करते हैं, वे बड़े मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की मजदूरी के लिये कोई नियम है, तो उसकी सूचना हमलोगों को मिलनी चाहिए, ताकि हम और हमारे साथीगण उसमें हस्तलोप कर सकें और उनको सही पारिश्रमिक दिलवा सकें। हमारे छोटानागपुर के जंगलों में काफी मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को मजदूरी निर्धारित नहीं है। मनमाने ढंग से उन लोगों को मजदूरी का भुगतान किया जाता हैं कहीं दो रुपया, कहीं तीन रुपया, कहीं चार रुपया मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। अधिक बोलने पर मतदूरों को बैठा दिया जाता है, कभी–कभी कई तरह के केस में फँसाकर जेल में भेज दिया जाता हैं तरह–तरह से चोरी, डकैती के केस में फँसाकर जेल में भेज दिया जाता है। इसलिये मैं चाहूँगा कि इस तरह के जितने असंगठित मजदूर हैं, उन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। खेत–खलिहान में काम करनेवाले जितने भी मजदूर हैं, सभी असंगठित मजदूर हैं। हमारे तमाम लीडर लोग कल–कारखाना में यूनियन बनाते हैं, वहाँ के मजदूरों को समस्या को देखते हैं, लेकिन जो खेत में का करनेवाले मजदूर हैं, रोड़ में काम करनेवाले मजदूर हैं, जंगलों में काम करनेवाले मजदूर हैं उनके लिये कोई यूनियन नहीं बनाते हैं, जबकि उनकी संख्या अधिक है। सरकार भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। इतना ही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिहर सिंह : सभापति महोदय, 1985–86 वर्ष के लिये और रोजगार संबंधी माँग पर मैं भी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ।

यद्यपि श्रम और नियोजन का सवाल है, वह जटिल है और हम लोग उसे ठीक से सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस सत्य को स्वीकार करने में हिंचक नहीं होनी चाहिये। लेकिन हमारी सरकार की नियत में कोई शक करने की गुन्जाईश की बात नहीं है, क्योंकि अभी समस्याओं को सुलझाने में किसी एक व्यक्ति, या सरकार का दोष नहीं होता हैं हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या तथा सीमित साधन, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जिस पर विचार करना होगा। इसलिये हमारी सरकार द्वारा पेश की गई माँग मैं समर्थन करता हूँ, यद्यपि हमारे सामने बहुत सी श्रमिक–समस्यों हैं। विपक्ष की आोचनाओं के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं किया है। सभापति महोदय, श्रम मंत्री के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, खुशी की बात है कि श्री लहटन चौधरी जी एक दम और ईमानदार मंत्री हैं–मैं आशा करता हूँ कि वे अवश्य ध्यान देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि श्रम की जो जटिल समस्या है, उसको सुलझा नहीं पाने का कुछ कारण है। हमारे जिला में एक कारखाना है, पलामू जिला का जपला सिमेन्ट कारखाना, जो एक पुराना सिमेन्ट कारखाना है। जपला सिमेन्ट कारखाना की हालत बहुत दयनीय है इस ओर बिहार सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आप जानते हैं कि श्रम विभाग की लापरवाही के कारण बहुत से कारखाने बन्द हो जाते हैं। चाहे वह डालमियाँ उद्योग हो, चाहे अशोक पेपर मिल हो, चाहे वह कुमारधुब्बी का कारखाना

हो, अपने आप बन्द नहीं हो जाता हैं उसके पीछे एक पृष्टभूमि होती है, कुछ कारण होता है, जिसके ऊपर समय से पहले ध्यान दिया जाना चाहिये। जपला सिमेन्ट फैक्ट्री की हालत इस तरह की हो गयी है कि दो हजार मजदूर वहाँ काम करते है और दो हजार मजदूर इसके रिलेटेड क्वेरीज है, उसमें काम करते हैं। यानी कुल चार हजार मजदूर काम करते हैं और लगभग 30 हजार परिवार के लोगों के साथ भूखमरी की स्थिति हो गयी है। सरकार को अविलम्ब इस ओर ध्यान देना चाहिये और उद्योग को चालू करने की कोशिश होनी चाहिये।

अन्यथा, बीस हजार मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जायंगी। मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना और निवेदन करना चाहता हूँ कि जपला सिमेंट फैक्ट्री जो हमारे क्षेत्र में है, उस ओर ध्यान दें और वहाँ के बीस हजार मजदूरों के प्राण की रक्षा का बंदोबस्त करें। मैं आशा करता हूँ कि देश के इने–गिने मजदूर नेता, मानीय विन्देश्वरी दूबे जो बिहार के मुख्य मंत्री है, यह खुशी की बात है और आशा है कि इनके शासनकाल में बिहार के मजदूरों की स्थिति ठीक होगी।

श्री शिवशंकर यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री अजीत चन्द्र सरकार ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन में लाया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश के विकास में श्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन मैं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। कि

इस राज्य में जो बेकार मजदूर हैं, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के सभी सिनेमा बंद हैं, सरकार और सिनेमा–मालिकों के बीच झगड़ा के कारण, लेकिन उनमें काम करनेवाले जो मजदूर हैं, जो बेकार पड़ें हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उन मजदूरों की समस्या निदान के लिये सरकार क्या करने जा रही है। सिनेमा बंद है, इसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना हैं। लेकिन सिनेमा में काम करनेवाले मजदूर जो बेकार हैं, उसके लिये आपको कुछ–न–कुछ करना होगा। जो असहाय, या निसहाय हैं और जो मजदूर खाने के बिना मर रहे हैं, उनके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सिवान जिला में वहाँ के शिक्षकों को 91 हजार रुपया का ड्राफ्ट का गठन हो गया है लेकिन आजतक उस रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है, जो शिक्षक काम करते हैं, उनके रुपये का भुकतान आजतक नहीं किया गया हैं लेबर जो बेकार हैं और उनका रुपया जो बाकी है, उसका भुगतान कराया जायं।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति है कि शिक्षित–बेकारों की रोजी–रोटी देने के लिये, उनको बस और टैक्सी खरीदने के लिए लौन देने की व्यवस्था की गयी, लेकिन वे लोग रुपया रिपे भी नहीं कर पाये, आज उनकी बसें सुलतान पैलेस में सैकड़ों की तायदाद में पड़ी हुई हैं। जिन बेरोजगारों के नाम पर बस दी गयी, उनकी हालत क्या होगी ? कहा जाता है कि परमिट नहीं है, लेकिन उन

बेकार लोगों का क्या होगा ? इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस समस्या का निदान करें। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूँ कि सिवान में विद्याभवन कॉलेज है, जिसमें वहाँ के प्रोफ़ेसरों को तो वेतन मिल रहा है, लेकिन वहाँ के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। कि वहाँ के क्लास 4 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराया जायं। इस संबंध में सरकार की जो नीति है, उसमें सरकार को स्पष्ट होना चाहिये। वह कॉलेज कंस्टीच्येन्ट कॉलेज है और सरकार से उसकी मान्यता मिल गयी है, लेकिन वहाँ के क्लास 4 के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार इसकी व्यवस्था करें।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न–उठाया है कि संगठन होना चाहिए। जहाँ तक संगठन का सवाल है सभापति महोदय, फैक्ट्रीयों में तो यूनियन है, इसलिए हर जगह उनका काम होगा और उनकी बातों को आप सुन लेंगे। लेकिन सभापति महोदय, जो लेबर कमजोर हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं आग्र खासकर जो खेतीहर–मजदूर हैं, उनका कोई संगठन नहीं है। इसीलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि खेतिहर मजदूरों की तरफ आपका ध्यान खासकर जाना चाहिए और उनलोगों के बारे में आपकी क्या नीति है, जवाब में स्पष्ट होना चाहिए।

श्री रामेश्वर पासवान : सभापति महोदय, हमारे श्रम मंत्री द्वारा श्रम

विभाग की जो माँग आज पेश की गयी है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आपलोगों ने कहा है कि नियोजन मिलना चाहिए विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ वे विकलांग लोग आपको क्या कहेंगे वे विधवायें आपको क्या कहेंगी, जो लंगड़े–लुल्हे लोग हैं, वे आपको क्या कहेंगे ? सभापति महोदय, यह श्रम विभाग है, लेकिन इससे हमको शर्म लगता हैं सभापति महोदय, मैं कह रहा हूँ कि नियोजन के लिए जितने पैसे की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, होनी चाहिए और इसके लिए माँग होनी चाहिए, ताकि अधिक–से–अधिक नियोजन आप दे सकें, इसके लिए विशेष माँग आपकी होनी चाहिए। लेकिन यह श्रम विभाग है, जिसे शर्म नहीं आता है। सभापति महोदय, आज जो खासकर बिहार के मुख्य मंत्री हैं, वे मजदूरों के मसीहा के रूप में आये हैं, आज वही मजदूर के नेता, बिहार के मुख्य मंत्री बने हैं, वे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, केवल मजदूरी की बात नहीं है, बल्कि उत्पादन की भी बात है। चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, उन तमाम जगहों में हमारे और आपके बीच समन्वय होना चाहिए, ताकि हम मजदूरों को नौकरी दे सकें। लेकिन आज आप वह नहीं करते हैं। आपने बोकारों में हड़ताल कराकर कितने करोड़ की क्षति करा दी। आपलोगों में अनुशासन नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपलोगों से कुछ होने वाला नहीं हैं अगर हमारे मंत्री जी कुछ करना भी चाहते हैं, तो आप उनको करने नहीं दीजियेगा।

सभापति महोदय, 20/0 सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा की गयी थी घोषणा के बाद भी हर क्षेत्र में लागू नहीं हुआ। वर्णित बात कहते की हिम्मत होनी चाहिए। वह हिम्मत आपलोगों में नहीं है। हम काम, मजदूरी दिलाने के साथ–साथ, हिम्मत के साथ उत्पादन की बात करते हैं। लेकिन आपलोग उत्पादन की बात नहीं करते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर जगह धांधली हो रही है। दो प्रतिशत जो लगड़े–लूल्हें हैं, विकलांग हैं, विध ावायें हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिल रहा है, वे जो विशेष शक्तिवाले हैं, उन्हें मिल रहा है और जो नियोजन पदाधिकारी हैं, वे इस चीज को नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनको दंडित करना चाहिए। नियोजन गारंटी योजना को देखिये, ताकि विशेष लाभ हो। ये जो श्रम विभाग के अधिकारी बेठे हुए हैं, वे बड़े अच्छे, ईमानदार लोग हैं। श्रम मंत्री जी, आपकी जो घोषित नीति है, न्यूनतम मजदूरी दिलाने की, 10 रुपये, 8 रुपये, वह नहीं मिलता है, बल्कि 5 रुपये, 6 रुपये मजदूरी मिलती है।

इस बात की घोषणा होनी चाहिये थी, ऐसा प्रावधान भी होना चाहिये था कि खेत में लगे हुये खेतिहर–मजदूर मस्टर रौल पर काम करनेवाले मजदूर उसको इतनी मजदूरी मिलेगी। कितने मजदूर हैं, जो आठ–दस वर्षों से मस्टर रौल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा सका हैं यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको देखे और उनको स्थायित्व प्रदान करे। लेकिन उनको देखनेवाला कोई

नहीं है। आर०एल०जी०पी० में लगे मजदूर हैं, उनको कितना मिलना चाहिये, सभापति महोदय, खेतिहर–मजदूर है, उनको कितना मिलना चाहिये, इसकी वाजाप्ता घोषणा होनी चाहिये थी, इसके लिये खासकर असेम्बली में घोषणा होनी चाहिये थी। आज जो खेत में काम करनेवाले गरीब खेतिहर–मजदूर, या छोटे–छोटे किसान के बच्चे हैं, जो रोड पर पड़े रहते हैं, उनको काम नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वे स्कूल जा सकें, वे दोनों जून अच्छा खाना खा सके। इन्हीं शब्दों के साथ चूँकी समय नहीं है और आसन से बैठने के लिये लाल बत्ती जल रही है, मैं माँग का समर्थन करते हुए आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री नलिनी रंजन सिंह : सभापति महोदय, सन 1980 से इसी सदन में श्रम विभाग के डिमांड पर बहस में भाग लेते समय मैंने इस श्रम विभाग की बेशर्म विभाग कहा था और आज भी उसके उसी पुरातन रवैये को देखकर मुझे पुनः उसी उक्ति को दुहराना पड़ रहा है।

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य, श्री नलिनी रंजन सिंह जी, यह श्रम और रोजगार विभाग है, यहाँ कोई बेशर्म विभाग नहीं है।

श्री नलिनी रंजन सिंह : सभापति महोदय, मुझे भी यह कहने में दुख हो रहा है, लेकिन बम्बई दुख इस बात के लिये हो रहा है कि यह विभाग बेशर्म हो गया हैं सभापति महोदय, लगता है कि यह श्रम विभाग सिर्फ मजदूरों और मालिकों के बीच

रिकशिलियेशन के लिये ही बना है और समझौता करा देने के बाद इस विभाग का काम खतम हो जाता हैं। इस विभाग को मालिकों को कोई दंडित करने का अधिकार नहीं है। यह विभाग केवल रजिस्ट्रेशन करने के लिये एक दूकान खोल दिया है कि पूरे राज्य में इतने हजार नौजवान बेकार हैं। केवल रजिस्ट्रेशन करते हैं और बेरोजगारों की संख्या बताने का पेशा अखित्यार किया है। उनके लिये कुछ करने लिये यह विभाग बना ही नहीं है, ऐसा लगता है। असंगठित मजदूरों को सरकारी नीति के मुताबिक संगठित करने की बात होती है और श्रम विभाग इस बात के लिये कटिबन्ध है कि मजदूरों को संगठित होने नहीं देंगे। युनियन के रजिस्ट्रेशन के लिये जब आवेदन पड़ता है, तो एक तो प्रोरजोयोर इतना लंबा है कि उसमें महीनों लग जाता है और एक अघोषित नीति है जिसके चलते रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाता है। छोटी–मोटी बातों पर भी इंक्वायरी के नाम पर सारे कागजात पीछे भेज देते हैं और ऊपर से वही आता है। मैं एक उदारहण देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कोल्ड स्टोरेज युनियन, पताही के लिये आवेदन आया। इन्होंने जो परफौरमा कंस्टीच्यूशन का छापा है, उसमें कहीं पर अध्यक्ष लिखा था और कहीं सभापति किया है। परफौरमा इन्होंने ही प्रिसक्राइब किया है और जब उसके मुताबिक संविधान भर कर युनियन द्वारा भेजा गया, तो अब इनकी बातें होती है कि आप कहीं सभापति लिखते हैं, कहीं अध्यक्ष लिखते हैं, इसलिए उसको सुधर कर भेजा जाय। सभापति महोदय, इसका मतलब हुआ,

चार महीने की देरी। कोल्ड स्टोरेज युनियन द्वारा फिर से प्रस्ताव होकर आया, तो इसमें चार महीने की पुनः देर हो जायगी। इसका मतलब यह है कि मजदूरों को संगठित नहीं करना चाहते हैं। हड़ताल ये स्वयं कराते हैं। कांटी थर्मल पावर, मुजफ्फरपुर में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। वहाँ पर भेल बना रहा है और वे कहते हैं कि हम बनाने नहीं जा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये कि श्रमिकों की समस्या है। श्रमिकों की समस्या है, या नहीं, दुनियाँ जानती है। कम–से–कम मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं। मैं इतना जानता हूँ, सभापति महोदय कि यह समस्या श्रम विभाग के चलते है। अभी पन्द्रह तारीख से थर्मल पावर युनियन लेबर ने हड़ताल करने की नोटिश जारी कर दी हैं उसके पीछे कारण यह है कि इसके पहले एक हड़ताल की नोटिस दी गयी थी और कुछ माँग पत्र के आधार पर उसमें श्रम विभाग ने हस्तक्षेप किया था औरउसमें कुछ समझौता भी हुआ था, लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ, उसके अनुपालन के नाम पर सिर्फ मालिक परस्ती हुँयी। इसलिये मजदूरों ने पुनः हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। आज ही मैंने श्रम विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की और आग्रह किया कि कम–से–कम इस संकट को टालिये। लेकिन आपके विभाग के पदाधिकारी यदि बेलगाम हैं, तो आप इन पर लगान लगाइये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिये आवश्यक बातें नहीं की जा रही हैं। आप गौर करें कि फायर ब्रिक्स के लिये वेजबोर्ड का

गठन नहीं हुआ, हार्ड कोक के लिये वेज बोर्ड का गठन नहीं हुआ, कोल वेज बोर्ड अब तक नहीं बना। इन उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिये कोई नियमावली नहीं है, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। तालाबंदी होती रहती है, लेकिन श्रम विभाग रोक नहीं पाता हैं। बिहार फायर वर्क्स, निरसा में तालाबंदी की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करुँगा कि सरकार तालाबंदी पर रोक लगाने के लिये कारगर कदम उठाये। इंडस्ट्रीयल स्टेट, मुजफ्फरपुर में 185 स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रड हैं, लेकिन सिर्फ 6–7 को छोड़कर सभी बंद हैं, तालाबंदी हैं हजारों मजदूर बेकार हैं। उनके हितों को देखने वाला कोई नहीं है।

सभापति (श्री भोला सिंह) : अब आप समाप्त करें।

श्री नलीं नीरंजन सिंह : सभापति महोदय, बहुत दिनों के बाद समय मिला है, इसलिये कृपाकर कुछ समय और दिया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 36 कर्मचारी को ढ़ाई, तीन साल तक काम करने के बाद छंटनीग्रस्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर 8 नये लोगों को बहाल कर लिया गया है, लेकिन पहले से छंनीग्रंस्त 36 लोगों में से किसी को बहाल नहीं किया गया है, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करुँगा कि छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को सरकारी परंपरा के मुताबिक बहाल करने की कृपा करें। अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दरभंगा के बरहीटोला के एक

अपाहिज, श्री सीताराम साह पर श्री पीताम्बर नाम के एक व्यक्ति ने रंगदारी कमीशन लेने के नाम पर जो उनका पेंशन का पैसा था, उसे छीन लिया। इस संबंध में मुकदमा भी हुआ, लेकिन उस पर कोई कारवाई नहीं की गयी। कहा जाता है कि मंत्री जी चाहते हैं कि उस रंगदार को सजा नहीं मिले, इसलिये सजा नहीं दी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती–प्रस्ताव का पुनः समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिये वर्ष 1985–86 के लिये जो माँग पेश की गयी है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने श्रम विभाग की कार्रवाईयों पर, उसके कार्यकलापों पर श्रमिकों के हितों के संबंध में कुछ बातों को रखा है। हालांकि मैंने सब लोगों की बातें नहीं सुन पायी है, फिर भी मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब 1980 में बनी, उस समय कांग्रेस सरकार ने श्रम नीति की घोषणा की और समय–समय पर पिछले वर्षों 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84 और आज 1985–86 में हम प्रवेश करचुके हैं, उसमें उन नीतियों के अंतर्गत जो घोषणायें की गयी थीं, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। मै उसके विस्तार में नहीं जाना चहाता हूँ, लेकिन 1985–86 के बजट पर हमलोग विचार कर रहे हैं, उस संबंध में मैं आपके माध्यम से कुछ बातों को इनके सामने रखना चाहता

हूँ। किसी भी सूबे में श्रमिक–शांति के लिये दो–चार बातें अवश्यक होती हैं यह देखा जाता है कि उसमें सरकार ने कितने डिसप्यूट को डिपोजल किया है और कितने लेबर ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, कितने लेबर कोर्ट का गठन किया गया है ? सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों सरकार ने इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यू नल जो राँची और पटना में स्थापित किया है, उसके संबंध में मैं एक आंकड़ा देना चाहूँगा और बाकी आँकड़े मंत्री महोदय देंगे ही, जैसा कि बैठे–बैठे माननीय सदस्य, राजो बाबू ने कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात की चिंता है और जब वर्ष 1984–85 शुरू हुआ, तो उस समय जितने इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल में केसेज लंबित थे, उसकी संख्या पटना में 299 और राँची में 66 थी। पिछले वर्षों में जितने केसेज रिसिव किये गये, उसमें 1984–85 के तहत उसकी संख्या है 159। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसमें 140 के सेज निष्पादित हो गये। जो डिसप्यूट रेज किया गया था, उनका निष्पादन हो गया है। चालू वर्ष के जो प्राप्त केसेज है, उनको देखा जाय, तो 318 पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लेबर कोर्ट में जो नम्बर ऑफ केसेज हैं, जो पिछले वर्षों से पेंडिंग थे, जितने प्राप्त हुए लेबर कोर्ट को जो बिहार की विभिन्न जगहों में स्थापित हैं, जहाँ पर श्रम से संबंध्ति बातें, जहाँ पर श्रमिक नीति और श्रमिक कामों से संबंधित बातें हैं, उसका हवाला मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूँगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, राँची, जमशेदपुर, बोकारो और पूर्णिया,

ये सारे जगह जहाँ लेबर कोर्ट हमारे हैं, उसका एक फिगर में देना चाहूँगा कि कितने केसेज पेंडिंग हैं। मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊँगा कि 31–12–84 को क्या फिगर था, 1–1–85 को क्या फिगर था, लेकिन आज की क्या स्थिति है, वह मै बताना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि पटना में 1036 केसेज, मुजफ्फरपुर में 630 केसेज, भागलपुर में 633 केसेज पेंडिंग हैं।

श्री राजो सिंह : पालित साहब आप प्रगतिशील विधायक हैं। यह भी बता दीजिये कि किसके पक्ष में हुआ मालिक के पक्ष में कितना हुआ और मजदूरों के पक्ष में कितना हुआ।

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य, आप बोले नहीं।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, मैं बतला रहा हूँ कि जो केसेज वर्ष के शुरुआत में 3 हजार 631 पेंडिंग थे और उसमें चालू वर्ष 941 के रोज रिसिव किये गये हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 4 हजार 572 थी। मैं बताना चाहता हूँ कि उनमें 587 केसेज का निष्पादन हो चुका हैं मैं अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि लेबर ट्रिब्यूनल के गठन, लेबर कोर्ट्स के गठन के बाद भी केसेज के निपटारे में निष्क्रियता रही है, उसको एक्सपेडाइट कराने की प्रक्रिया सरकार ने उतना नहीं किया हैं कुछ लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि श्रम विभाग से, या श्रमिक आंदोलन से मेरा क्या संबंध रहा है ? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं भी कम–से–कम बारह लेबर युनियन से सम्बन्ध रहा हूँ। हमारे

यहाँ गया में हजारों मजदूर हैं, कॉटन और जूट मिल हैं तथा, दूसरे तरह के उद्योग हैं, जिनका मैं नेतृत्व करता हूँ और मैं यह महसूस करता हूँ कि जितने डिसप्यूट्स आये, उतने का एक्सपेडाइट नहीं हो सका।

सभापति महोदय, अब मैं समाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह एक अहम मामला है और हमारे माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा है। राज्य सरकार ने इस बात को महसूस किया कि जिन लोगों का पेंशन कट गया है, या जो छंटनीग्रस्त कर दिये गये हैं, यदि दो प्रतिशत से ज्यादा भी आबादी हो जायगी, तो दी जायगी और साथ–साथ नये लोगों को भी पेंशन स्वीकृत किया जायगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि सारे लोगों को पेंशन दिया जायं।

लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सदस्यों में से–

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य आप आसन को सहयोग करें।

श्री जयकुमार पालित : जी अच्छा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 1982–83 में बजट में उपबन्ध था, 84 लाख रुपये का और उसके बाद चला आया है, यह रकम 1985–86 में, 52 लाख 81 हजार पर। तो, मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में जो उपबन्ध था, उसमें कमी की गयी है। फिर राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है कि पिछले वर्ष में जिनका पेंशन देना बन्द

हो गया था, उसको फिर से दिया जायेगा, तो मैं चाहूँगा कि जब एक तरफ आप पेंशनवाले की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो पिछले वर्ष में उपबन्ध था, उसमें वृद्धि किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दो–तीन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला यह कि समाजिक सुरक्षा पेंशन देने का डॉ० जगन्नाथ मिश्र के मुख्य मंत्रीत्व काल में फैसला लिया गया था और उस समय बिहार राज्य में लगभग 22 लाख लोगों को मिलता था, लेकिन श्री चन्द्रशेखर सिंह के समय मैं उसमें से पाँच लाख लोगों का पेंशन बन्द कर दिया गया। मैं आग्रह करता हूँ कि वर्त्तमान सरकार जिसमें, श्री लहटन चौधरी जी लेबर मिनिस्टर हैं, इनके डाइरेक्टर ने विज्ञापन निकाला है पेंशन देने के लिये लेकिन मैं कहता हूँ कि विज्ञापन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं हैं आप सीधे समाहर्त्ता को आदेश दे दें कि जिन पाँच लाख लोगों का पेंशन बन्द कर दिया गया था, उन्हें फिर से पेंशन दिया जाय, हालांकि उसमें से बहुत से लोग मर चुके हैं, जिनको छंटनी हुई थी। अतः, उन सारे लोगों को आप फिर से पेंशन दे दें। मैं कहता हूँ कि उस पाँच लाख में से एक भी अयोग्य नहीं है, सभी 60 वर्ष से ऊपर के हैं, या विधवा हैं, या विकलांग हैं। उनलोगों के लिये एक फैसला दे दीजिये। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। यह उसी को मिलता है, जिसका कोई माँ–बाप नहीं है, असहाय है, जिन्हें आपके सहारे को नितान्त जरूरत है।

आपने घोषणा की थी कि कर्मचारियों के लिये 12 अस्पताल खुलेंगे, जिसके तहत मुंगेर के झाझा और खड़गपुर में भी एक–एक अस्पताल खुलनेवाला था, वह आजतक नहीं खोला गया है, इस पर ध्यान दें।

आपने रोजगार दिलाने के लिये बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जिनमें आपने नियोजनालय का शाखा खोला है और वहाँ एक–एक अफसर को रखा है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के शेखपुरा में भी एक खुला है, जो अब सबडिवीजन हो गया हैं लेकिन वहाँ के अधिकारी कहाँ रहते हैं, इसका पता ही नहीं रहता हैं चिराग लेकर खोजने पर भी वे नहीं मिलते हैं। मैं सोचता था कि एस० डी० ओ० के कार्यालय में बैठते होंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। मेरा अनुरोध है कि आप इस योजना को कारगर बनावें।

किसान सरकार द्वारा निश्चित की गयी मजदूरी मजदूरों को नहीं देते हैं, तो उन किसानों पर मुकदमा चलाया जाता हैं कृषि विभाग में भी डैली वेजेज पर लोग काम कराते हैं, फारम में भी डेली वेजेज पर आदमी रहते हैं। लेकिन इन लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से मजदूरी नहीं दी जाती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी हालत में वे मजदूर किस पर मुकदमा करेंगे, सरकार पर, या मिनिस्टर पर। इन बातों को कहते हुए मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस पर भी अवश्य उत्तर देंगे। सपथ हो, इस बात को भी स्पष्ट करेंगे कि जो फैसला ट्रिब्यूनल से ही रहा है, उसमें से कितना फैसला मजदूरों के हक में हुआ है और

कितना फैसला मालिक के पक्ष में हुआ है ? मैं समझता हूँ कि इन फैसलों में ज्यादातर फ़ैसला मालिक के पक्ष में हुआ है।

श्री श्रीकान्त पाठक : माननीय सभापति महोदय, श्रम, प्रशिक्षण एवं नियोजन के संबंध में जो माँग सदन के सामने आई है, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि सरकार ने श्रम एवं रोजगार के संबंध में बहुत ही आगे कदम बढ़ाया है और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कहा कि श्रम कार्यालय को बंद कर दिया जाय, तो मैं सभापति महोदय, दावा के साथ कहना चाहता हूँ, दाव के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस–जिस फैक्ट्री में इनके यूनियन कायम हैं, उन सारे फैक्ट्री को बंद करके श्रम एवं रोजगार, दोनों को चौपट कर दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बराबर, ये जो कम्यूनिस्ट पार्टी की यूनियन है, वे मजदूर और मालिक का संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। जो ट्रेड यूनियन करते हैं, अधिकांश विरोधी दल के लोग, इसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने श्रम और रोजगार, दोनों को नहीं देखा है और जिस तरह से टी०बी० का कीड़ा मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश कर जाता है और शरीर को खोखला कर देता है, उसी तरह से ये ट्रेड यूनियन मजदूर और मालिक को खोखला कर दिये हैं।

दूसरी बात, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सिमेंट, चूना, बस आदि में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके संबंध में वेस्ट बंगाल के हाई–कोर्ट ने एक रुलिंग दिया है कि इन जगहों में

काम करने वाले लोगों को डस्ट एलाउऐंस दिया जाय। इसी के आलोक में मैं अपने मंत्री जी से अनुरोध करुँगा कि वे भी अपने प्रदेश में जो सिमेंट, चूना, बस आदि में काम करने वाले लोगों को डस्ट एलाउऐंस दें। ऐसी जगहों में काम करने से जहाँ कि टी०बी० की बीमारी होने की सम्भावना हों, उन जगहों में काम करने वाले लोगों को डस्ट एलाउऐंस सरकार दे।

तीसरी बात, में यह कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के कल्याण के लिये सरकार ने इनस्योरेंस, ग्रेज्यूटी, प्रोकिडेंट फंड लागू की है, लेकिन जो हमारे खेतिहर–मजदूर हैं, उनकी समस्या कुछ अलग तरह की हैं खेतिहर–मजदूरों के साथ अलग–अलग समस्या हैं हमलोग जहाँ मजदूरी कराते हैं, वहाँ मजदूरों को डेढ़ बीघा उनको देते हैं, नाश्ता के लिये अलग देते हैं, इसी तरह से सिंचित एवं असिंचित के लिये अलग–अलग कानून बने हुये हैं सिंचित की तरफ कितनी मजदूरी मिलेगी, असिंचित की तरफ कितनी मजदूरी मिलेगी, इसके लिये कानून बने हुये है। और इनके अनुसार बहुत जगहों पर मजदूरी मिल भी रही है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कहीं दिक्कत हो, तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

अंत में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जो खेतिहर–मजदूर हैं, या जो किसान हैं,उनके कल्याण के लिये हर फैक्ट्री में एक कमिटी बने, वह कमिटी खेतिहर–मजदूरों, किसानों आदि के जीवन स्तर को देखे और सरकार के सामने

एक रिपोर्ट पेश करे और सरकार उस पर विचार करे।

(इस अवसरपर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री अशोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, श्री अजीत चन्द सरकार ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का सांठगांठ निश्चित रूप से पँजीपतियों से है और इनको मजदूरों का कोई ख्याल नहीं है। इसका उदाहरण है कि इस सरकार ने अभी तक प्रेस के जितने भी मालिक हैं, अखबार के मालिक हैं, वे पूंजीपतियों के हैं, कैपिटिलिस्टों के हैं, लेकिन उनमें जो मजदूर काम करते हैं, उनकी छंटनी की जाती हैं अभी अध्यक्ष महोदय,सर्चलाईट और प्रदीप, दोनों में दर्जनों मजदूरों को हटा दिया गया, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों में पालेकर एवार्ड लागू हुआ था, लेकिन अभी तक यहाँ लागू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, बालेकर एवार्ड को कौन कहे, जो न्यूनतम मजदूरी होती है, अखबार में काम करने वालों के लिए, वह उन्हें नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, करखनियाँ–मजदूरों से लेकर खेतहर– मजदूरों तक की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही हैं मैं आपके माध्यम से इस सरकार ध्यान अपने जिला समस्तीपुर के ठाकुर पेपर मिल की ओर ले जाना चाहूँगा। आज वह तीन वर्षों से बंद है और वहाँ के 500 मजदूर जो ठाकुर पेपर मिल में काम करते हें, वे भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनपर इस सरकार का कोई

ख्याल नहीं है। वहाँ जन–सभा में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था जल्दी इसे चालू करेंगे, लेकिन आज तक कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। इन मजदूरों के परिवार के तीन हजार सदस्य भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार का उनपर कोई ध्यान नहीं है। खेतिहर–मजदूरों की भी हालत यही है। इनके श्रम विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं, वे सिर्फ उन किसानों को जो मजदूरी ठीक देता है, नोटिश करते हैं, उन्हें मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, वे इसलिए नोटिश देते हैं, ताकि उन्हें कमीशन में सौ, दो सौ रुपया मिल जाएँ, उन्हें मजदूरों का कोई ख्याल नहीं हैं आज श्रम विभाग की ओर से देहातों में लूट का काम चल रहा है, मजदूरों पर इनका कोई ख्याल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, में बेरोजगारी के संबंध में कहना चाहूँगा। बेरोजगारों की जो स्थिति है, यह सबों को मालूम है। बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि आज हजारों इन्जीनियर और डॉक्टर अपने राज्य में बेकार पड़े हुए हैं। इन्जीनियर जो 1977 में जनता राज्य में जब माननीय कर्पूरी जी मुख्य मंत्री थे, तो उस समय जितना एपोआयंटमेन्ट हुआ था, उतना आज तक नहीं हुआ, लेकिन यह सरकार दावा करती है कि हम प्रोग्रेसिव हैं। 1978–79 में माननीय कर्पूरी जी के मुख्य मंत्रित्व काल में जितने भी इन्जीनियर बेकार थे, सबों को बहाल कर दिया, सिर्फ विद्युत् इन्जीनियर की बहाली नहीं हुई थी और वे आजतक पड़े हुए हैं, उनपर इस सरकार का कोई ख्याल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि छात्रवृत्ति

हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लड़कों को जो दी जाती है, उसपर कोई ध्यान कल्याण विभाग का नहीं हैं। इनके कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है जिससे जो गरीब विद्यार्थी हैं। वो पढ़ना छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार का ध्यान मजदूरों की ओर जाना चाहिए। जितने भी छंटनीग्रस्त मजदूर हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान दे और पालेकर एवार्ड को लगू करने की कोशिश करे और साथ–ही–साथ ठाकुर पेपर मिल, जो समस्तीपुर में है, बंद पड़ी हुई है, उसे चालू कराया जाए। इतना ही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री शकीलुजजमाँ : अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री द्वारा इस सदन में पेश की गयी माँग का मैं समर्थन करता हूँ। श्रम विभाग निश्चित रूप से श्री विन्देश्वरी दूबे मजदूर नेता के नेतृत्व में इस कल्याणकारी काम मजदूरों के लिए कर रही है अध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वृद्धा अवस्था पेन्स जो एक कल्याणकारी राज्य में गरीबों के लिए चालू किया गया था और आज भी मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप में बहुत कम संख्या में लोगों को मिल रहा हैं पिछले दिनों इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि ऐसे सभी लोगों को जिनकी अनुशंसा विधायक लोग करेंग, उन्हें वृद्धा अवस्था पेन्शन दिया जायेगा। लेकिन मुख्य मंत्री जी के साफ डायरेक्शन के बावजूद, निदेश के बावजूद, अभी तक विभाग ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं श्रम मंत्री से कहूँगा कि वे इस

पर पूरा ध्यान दें और इसके साथ–ही–साथ, जो राशि अभी तीस रुपये की मिलती है, उसे बढ़ाकर 50 रु० कर दिया जाए। जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी की बात है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को नहीं मिल पाती है। इन्डट्रीज में, या शहर से लगे हुए इलाकों में न्यूनतम मजदूरी मिल जाती है, लेकिन असंगठित मजदूरों को, जैसे हमारे क्षेत्र में बीड़ी–मजदूर, या खेतिहर–मजदूर हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही हैं पूरे राज्य में 6 लाख बीड़ी मजदूर हैं और हमारे बिहार–शरीफ क्षेत्र में 60 हजार बीड़ी–मजदूर हैं, लेकिन उनकी बहुत बुरी हालत है। उन्हें हैल्फेसिलिटीज नहीं है। सरकार ने पिछले 29 अप्रील को अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी बीड़ी–मजदूरों के शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्रों के लिए 12 रु० और 13 रु० तय किया, लेकिन अभी तक म्यूनिसिपलटी क्षेत्र, बिहार शरीफ में बीड़ी–मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और हम इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए सरकार की ओर से व्यवसथा की जाएँ। इसके साथ–ही–साथ, खेतिहर–मजदूर जो असंगठित हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिलाने की व्यवस्था करायी जानी चाहिए। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आई०टी०आई० जो श्रम विभाग द्वारा संचालित होता है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इन्डस्ट्रीयल डेवलपेन्ट के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, आई०टी०आई० की संख्या बढ़ाना आवश्यक हैं आज बहुत कम छात्र इसें शिक्षा

लेते हैं, इसलिए इस शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए आज हर तरफ बात चलती है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आई०टी०आई० का विस्तार किया जापए और छात्रों को उनमें शिक्षा दिलायी जाए। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राजो बाबू ने ठीक ही कहा कि यह विभाग मालिक और मजदूरों के बीच में दलाली का काम करता हैं अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बरौल प्रखंड में श्री सीता शाह जो अपाहिज हैं और उसे इस प्रखंड में वृद्धा अवस्था पेन्शन मिलता हैं वहाँ पर एक श्री पीताम्बर हैं जो दादागिरी करते हैं और यह कहते हैं कि हम श्री लहटन चौधरी के आदमी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैं श्री पीताम्बर सिंह पर मुकदमा भी हुआ था। वहाँ डी०एस०पी० और वी०डी०ओ० ने जाँच की और उस आधर पर श्री पीताम्बर पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज भी वह इस प्रखंड में जो कमीशन नहीं देता है, अपाहिज है, तो उसे वह पटक कर छीन लेता है। इसी तरह की घटनायें पूरे बिहार में हो रही हैं आप जानते हैं कि आज बिहार में मजदूरों के साथ क्या हो रहा हे, उसे देखने वाला कोई नहीं है। आज मजदूर अपना प्रान्त छोड़कर पंजाब भाग रहे हैं, दूसरे सूबे में भाग रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। गौरौल सूगर फैक्ट्री के मजदूर यूनियन का मैं मंत्री हूँ।

वहाँ मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। उनके लिये जो लेबर कोर्ट का फैसला हुआ था, पैसा दिलाने का, वह भी पैसा उन्हें नहीं मिला है। लेबर विभाग मोतीपुर का भी वही हाल है एस० के० जी०, सुगर मिल, हथुआ की भी वही हालत है। आज वहाँ के मजदूर मारे– मारे फिरते हैं।

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज काफी दिलचस्पी वाद विवाद में ली है और अपना विचार प्रकट किया हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार दिये हैं और काफी संजीदगी के साथ अपनी बातों को सदन में रखा हैं मैंने उनके विभिन्न सुझावों को लिखा भी है और उनकी जो छिटफुट शिकायते है, उनके बारे में भी नोट किया है मैं उनकी शिकायतों की जाँच करवा दूँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विन्दुओं का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य–मुख्य बातें हैं, उनका जवाब देने की मैं चेष्टा करुँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्रम विभाग की इस बात के लिये गौरव है कि उसके प्रयास से संगठित और असंगठित मजदूरों की हालत में सुधर हुआ है और रोज–क्रोज इसमें वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस विभाग को वेशर्म विभाग भी कहा है, एक नहीं, बल्कि 3–4 माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कही है। क्या बिहार के विपक्षी सदस्य इसी दिशा में जा रहे है, जिसके कारण उन्होंने बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल किया है ? क्या अपोजिशन के लोगों का यही संस्कार बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो श्रम–नीति है, वह यह है कि श्रमिकों और नियोजकों के बीच में अधिक–से–अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे हैं, इसकी चेष्टा हम बराबर करते आ रहे हैं, ताकि मजदूरों को भी अनावश्यक रूप से परेशानी न उठानी पड़े और उत्पादकता की क्षमता भी न घटे। श्रम विभाग की नीति है कि मजदूरों का हित सर्वोपरि हो और इसी दिशा में सरकार की कार्रवाई होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस नीति के फलस्वरूप में एक–दो बातें सदन के समक्ष रखूँगा कि अभी जो कुछ विगत वर्षों में जितने हड़तालें हुई, जितनी तालाबंदी हुई और जितने श्रम–दिवस हमारे नष्ट हुए, उसमें काफी सुधर इस वर्ष हुआ है और जनवरी से मई महीने के बीच 1984 में नो लाख, चालीस हजार, पाँच सौ आठ श्रम–दिवस नष्ट हुए, वैसे अभी इस पीरीयड में दो लाख, अड़तालीस हजार छः सौ अड़तालीस केवल श्रम दिवस नष्ट हुए। इस तरह से आप देखेंगे कि काफी प्रयास किया गया है, इस दिशा में कि शांति बनायी रखी जायं और बंदी भी नहीं होने पावे। जहाँ कहीं भी बंदी हुई है, बड़ी तत्परता के साथ समझौता भी कराया गया है और जहाँ कहीं समझौता नहीं माना गया है, वैसे मामले को न्यायधिकारण, लेवर कोर्ट में भेजा गया हैं अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो हड़तालें हैं, काफी हड़तालों को समाप्त किया गया है, दो–तीन जगह की हड़तालें चल रही है, जबकि कई जगहों पर हड़ताल और तालाबंदी की सिथति उत्पन्न हो गयी थी। न्यायालयों और ट्रीव्यूनलों की संख्या पहले नौ थी,

ज़िनमें 2 ट्रीव्यूनल थे और 7 न्यायाल थे । अभी संप्तम पंचवर्षीय योजना 3 और ट्रीन्यूनल तथा 7 न्यायालयें के विपरीत और 8 न्यायालय खोलने का निश्चय किया गया हैं इस तरह से जो भी हमारी प्रगति रुकी हुई है, उस मामले में हमें काफी आगे बढ़ने की गुंजाईश होगीं। अध्यक्ष महोदय, माानीय सदस्य मंडलजी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार को यह कूबत नहीं है कि समझौता के लिये नियम बनाने का और नियोजकों को ज़बरदस्ती समझौता के लिये लाया जाय। यह नियम नहीं है, शायद औपोजिशन के माननीय सदस्य भी मानेंगे कि इस तरह के नियम बनाये नहीं जा सकते कि समझौता के लिये चाहे श्रमिक, श्रमिक संघ, या नियोजक को रखता बाँधकर लाया जाय, उनको रस्सा बाँधकर नहीं लाया जा सकता है और इस संबंध में सरकार नियम बना सकें। 1947 के ऐक्ट के मुताबिक यहाँ दो ही प्रावधान है, या तो हम समझौता करेंगे और समझौता नहीं होगा, तो हम न्यायालय में सुपूर्द करेंगे। अगर समझौता हो जाये, तो उस समझौता का पालन निश्चित समय के भीतर होना चाहिए और इस बात को सरकार देखेगी कि इस स्थिति में हम सुधर करने की कोशिश करेंगे और नियम बनाने की कोशिश करेंगे कि उसका पालन निश्चित समय के भीतर हो सकें। इस संबंध में मोनेटरिंग के लिये सरकार सचेष्ट है। औद्योगिक सम्बन्धों के मोनेटरिंग के लिये रसप्तम पंचवर्षीय योजना में एक पृथक रोल की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जो विचाराधीन है और उसको होने से हमारे औद्योगिक सम्बन्ध में

अगर कहीं कोई कमी है, तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाय, या जो निर्णय लिया जाता है, उसका पालन होता है, या नहीं, उसका मोनेटरिंग ठीक से किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न फैक्ट्रीज कई कारणों से बंद हैं। वहाँ के फैक्ट्रीज श्रमिक और नियोजक के मनमानो के कारण बंद हुए हैं, तो उसका दायित्व तो बहुत हद तक श्रम विभाग पर रहता है और श्रम विभाग उसको सुलझाने की कोशिश करता है, जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ मजदूरों के झगड़े को लेकर बन्द नहीं है, दूसरे कारणों से बंद है। उन विवादों को सुलझाने के लिए श्रम विभाग काफी सतर्क है और इस दिशा में कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई बातों पर निर्भर करता है, जिसकी तुरंत संभावना नहीं हो सकती है।

सब से बड़ा सवाल हमारे सामने है, अर्द्ध संगठित एवं, असंगठित मजदूरों के बारे में। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ हूँ। माननीय सदस्यों ने कहा है कि अर्द्ध संगठित, या असंगठित मजदूर हैं, उनके मामले में आत भी ऐसी बात है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना नितान्त आवश्यक हैं आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहाँ उनकी बहुत कम मजदूरी मिलती है। मैं इस बात को मानता हूँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ। सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए गए हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष निवेदन कर देना चाहता हूँ।

जहाँ तक बीड़ी–मजदूरों का सवाल हे, अभी प्रारूप

अधिसूचित किया है कि जहाँ कॉरपोरेशन का क्षेत्र है, वहाँ 13 रुपए, जहाँ म्युनिसिपल क्षेत्र है, वहाँ 12 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 11 रुपए प्रति हजार उनको पारिश्रमिक मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तक यह लागू नहीं हुआ है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अभी प्रारूप प्रकाशित हुआ है, उसे बाद इस पर ऑब्जेक्शन आएगा, उसके बाद शीघ्रतातिशीघ्र फैसला करके लागू कर दिया जायगा।

जहाँ तक खेतिहर–मजदूरों का सवाल है, मैं बता देना चाहता हूँ कि समझौते से और न्यायालयों के जरिय से जितना उन्हें दिलाया जा सकता है, उसके अनुसार 1984–85 में समझौते के जरिय उनकी 13 लाख 45 हजार रुपया नकद 4818 क्वीन्टल अनाज और 91 विघा 15 कट्ठा जमीन दिखाया गया है। आप मानेंगे कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप इसके लिए प्रशंसा नहीं करेंगे, तो हम आपकी तरफ से तारीख करने के लिए खड़े होगें ? इसी तरह न्यायालयों के द्वारा उन्हें 4 लाख 18 हजार रुपया नगद दिया गया है।

जहाँ तक उनके लिए कल्याण केन्द्र खोलने का प्रश्न है, सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना काल में 41 कल्याण केन्द्र स्थापित किये थे, जिसके माध्यम से जो खेतिहर–मजदूर हैं, जो ग्रामीण मजदूर हैं उनकी मनोरंजन के लिए, उनकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए, महिलाओं के मातृत्व के लिए जो कार्रवाई की जाती है, उसके लिए 41 केन्द्र की स्थापना की गयी थी।

सम्यक योजना में सप्तम पंचवर्षीय योजना काल के

अन्तर्गत 100 केन्द्र खोलने का कार्यक्रम है और 1985–86 में इसके तरह 30 केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है। अभी यह कार्रवाई की गयी है।

श्री हिन्द केसरी यादव : छठी पंचवर्षीय योजना की बात आप कह रहे हैं, केन्द्रीय योजना आयोग और स्वराष्ट्र मंत्रालय द्वारा ग्रामीण मजदूरों के लिए क्या किया गया है, यह नहीं कह रहे हैं। उनके बारे में भी कहें।

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मज़दूरों के जागरण के लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं। संगठित मजदूर तो जानते है, उनको मालूम है कि उनके लिए क्या–क्या सुविधाएँ, क्या–क्या कानून–व्यवस्था है, लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं, जो ग्रामीण मजदूर हैं, उन्हें पूरा–का–पूरा नहीं मालूम है कि उनके लिये क्या–क्या कानून, क्या–क्या व्यवस्था और क्या सुविधाएँ उन्हें मिलने को है। इसके लिये 6 ठी पंचवर्षीय योजना 47 शिविर खोले गये थे और अब आगे भी शिविर लगाने का कार्य–क्रम है।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, ये 6 ठी योजना के बारे में कह रहे हैं–

अध्यक्ष : आप कृपया इनकी बात सुनिए।

श्री लहटन चौधरी : मजदूरों के हित के लिये जो नीति घोषित की गयी थी, उस नीति का काफी दूर तक अनुपालन हुआ है। इसके मातहत कई मुद्दों पर कारवाई हो चुकी है और जिन

मुद्दों पर कार्रवाई बाकी है, उनपर गंभीरता के साथ कार्रवाई की जा रही है, ताकि घोषित नीति का कार्यान्वयन हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि मजदूरों के लिये दो और योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। खेतिहर–मजदूर अपना ट्रेड युनियन कायम कर सकें, इसकी क्षमता प्रदान करने के लिये प्रत्येक युनियन के संबंध में 1500/रु० सहायता देने का निर्णय किया गया है। खेतिहर–मजदूर अपना युनियन कायम कर सकें, इसके लिये सरकार की ओर से 1500/रु० एक–एक युनियन को सहायता के रूप में प्रदान किया जायगा।

इसी तरह से यह भी निर्णय किया गया है कि जो खेतिहर–मजदूर हैं, उनको अगर मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है, इसकी शिकायत वे करते हैं और इसके लिये उन्हें अगर कोर्ट में जाना पड़ता हे, तो जिस दिन वे कोर्ट में जायेंगे, तो उनकी मजदूरी जो नस्ट हो जाती है, वह मजदूरी उनको मिलेगी। सरकार प्रावधान कर रही है कि जिस दिन उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस दिन की मजदूरी के रूप में उन्हें 12/–रु० दिया जायगाँ।

(इस अवसर विरोधी दल के कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, जो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था।)

हमें बड़ा दुःख होता है कि माननीय सदस्य नाटक तो करते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिये तैयार नहीं होते। मजदूरों के हित के लिये सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है, मजदूरों के लिये सही कार्यक्रम अपनाया है, उसकी तरफ

माननीय सदस्य का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जरा जवाब सुनने की कोशिष कीजिएँ।

मैं यह कह रहा था कि कोर्ट में जाने के दिन मजदूरों का जो पारिश्रमिक नष्ट होगा, वैसे श्रमिक जो केस अटेन्ड करने जायेंगे, उन्हें 12/–रु० क्षतिपूर्त्ति के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में सरकार देगी।

इसी तरह प्रवासी मजदूरों के लिये टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। यह टास्क फोर्स प्रवासी मजदूरों के सम्बन्ध में निरीक्षण करके देखेगी कि इन्हें जो सुविधाएँ दी जानी चाहिए, वे सुविधाएँ इनको मिल रही है, कि नहीं, क्या इनके साथ शोषण तो नहीं हो रहा है ?

ऐसी स्थिति हुई है कि दूसरे राज्यों से औबजेक्शन आया है कि जो टास्क फोर्स है, उसको निरीक्षण करने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं । इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि वह निरीक्षण करने का अधिकार दे ताकि जो प्रवासी मदूर राज्यों में जाते हैं उनको टास्क फोर्स देख सके और अपनी रिपोर्ट दे सकें और उनकी रिपोर्ट पर जो भी कार्रवाई हो वह की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में माननीय सदस्यों की बड़ी चिन्ता रही है और उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है । तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो दो परसेंट की पाबंदी रखी गयी थी उस पाबंदी को उठा दिया गया है । ऐसा किया गया है कि जिनका पेंशन

बन्द हो गया था, उन्ही कि केवल देने की बात नहीं होगी बल्कि जो नये लोग हैं और जो इस स्कीम में नियम के अनुसार पेंशन लेने के अधिकारी हैं, उनको भी पेंशन दिया जायगा । इसके लिये जो राशि उपलब्ध की गयी थी, वह पुराने नियम के अनुसार उपलब्ध की गयी थी । अब नये नियम के आधार पर जो आवेदन आयेंगे, उनको जाँच करके उतनी राशि उपलब्ध करायीं जायेंगी ।

आप जानते हैं कि खेतिहर–मजदूर या असंगठित मजदूरों के संबंध में दो योजनाएँ लागू हैं । एक योजना यह लागू है कि जिन मजदूरों की मृत्यु दुर्घटना में होती है, उन्हें दो हजार रुपया देने का प्रावधान है । अभी केन्द्रीय सरकार ने तीन हजार रुपये ऐसे केस में देने का प्रावधान किया है । अगर किसी मजदूर की मृत्यु होती है, तो केन्द्रीय योजना के अंतर्गत यह राशि उन्हें मिलेगी, राज्य की योजना तो है ही, केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भी रुपये दिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठायी हैं, उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। श्री अजीत चन्द सरकार ने यह प्रश्न उठाया है कि सिनेमा के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के संम्बंध में हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, उसकी लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला 19.6.85 को ही हुआ है और इसके संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य, श्री समरेश सिंह ने बड़े जोरों से बोकारों में हुए कत्ल की चर्चा की। ऐसा लगता

था कि श्री समरेश सिंह सदन को उलट देंगे। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि बोकारो में जो कत्ल हुआ, वह माननीय सदस्य, श्री समरेश सिंह के यूनियन के कारण ही हुआ है। इन्होंने गलत तरीके से स्थिति को गम्भीर बना दिया।

(जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य एक साथ कहने लगे कि ये गलत कह रहे ह)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में बतलाना चाहता हूँ।

(शोरगुल)

18 ता० को एक समझौता हुआ और समझौता यह हुआ कि श्रमायुक्त को पंच माना गया और कहा गया कि वे इसका निर्णय करेंगे। लॉ के मुताबिक सी–फार्म ऐग्रीमेन्ट लिखकर देना है कि अमुक आदमी इसको पंचायती करेगा। कई बार कहने के बाद भी श्रमायुक्त को लिखकर कुछ नहीं दिया गया। सी–फार्म अब 9.7.85 को प्राप्त हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब इससे ज्यादा मुस्तैदी के साथ और कार्रवाई क्या हो सकती है ? मैं माननीय सदस्य, श्री समरेश सिंह को कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत मुस्तैदी से कार्रवाई को जा रही है।

माननीय सदस्य, श्री लालू प्रसाद ने एक बात कही है कि इनके क्षेत्र के एक आदमी दादागिरी करते हैं। आज तक श्री लालू प्रसाद ने यह कहने की पूर्व में कृपा नहीं की कि इनके क्षेत्र के लोग दादागिरी करते हैं। अभी यह बात इनकी समझ में आयी हैं कि कोई दादागिरी कर रहा है।

(शोरगुल)

श्री समरेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इस लिये ऐसे शब्द को वापस लें।

श्री लहटन चौधरी : आप झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जो सच है, उसको मैंने कहा है।

(शोरगुल)

श्री समरेश सिंह : आप झूठे हैं।

(जनता पार्टी के मा० सदस्यों में सदन का त्याग किया।)

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो निर्णय लिया है, उससे और उदार निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(लोक दल के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

समस्या के निराकरण के लिये श्रम विभाग और उद्योग विभाग द्वारा प्रयास जारी है। श्रमायुक्त के स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण किया जा रहा है। सुधर समिति की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय सदस्य, श्री अजीतचन्द्र सरकार आग्रह करूँगा कि वे अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और माँग को स्वीकार करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत चन्द सरकार, आप वापस अपना कटौती–प्रस्ताव लेंगे ?

श्री अजीत चन्द सरकार : अध्यक्ष महोदय, मानीय मंत्री ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सोचता था कि कटौती का प्रस्ताव वापस लूँ, लेकिन इन्हीं का बनायी हुई कमिटी, सुधर समिति ने 1972–73 में रिपोर्ट दे की, लेकिन ये अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिये दिया ड्रा करने का सवाल ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 'इस शीर्षक की माँग 10 रुपये से घटायी जाय। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि : –

"श्रम और नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिये 22,18,82,000 (बाइस करोड़, अठारह लाख, बिरासी हजार) रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ध्यानाकर्षण–सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :

(क) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण :

अध्यक्ष : श्री रघुनाथ झा के ध्यानाकर्षण पर बात चल रही थी, क्या इस संबंध में सरकार को कुछ और कहना है।

श्रीमती उमा पाण्डेय : माननीय रघुनाथ झा के ध्यानाकर्षण पर सरकार को जो कुछ कहना था, सरकार ने कह दिया।

श्री सत्यनारायण दुदानी : अध्यक्ष महोदय, यह बात उठायी गयी